आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय

स्वर्ग आश्रम रोड, हापुड़–245101
Phone : +91-1222300069, +91-78951 02255
Email :- akpgcollegehapur@gmail.com
www.akpcollege.org

DGP: Guru Kirpa International, Hapur 7017772198

समाचार-पत्रों के माध्यम से महाविद्यालय की उपलब्धियां

मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

टैबलेट पाकर खिले 73 छात्राओं के चेहरे, गाए गीत

स्वर्ग आश्रम रोड स्थित एकेपी पीजी कॉलेज में विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के अंतर्गत किया गया वितरण

आर्य कन्या पीजी कॉलेज की बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा ने 69 किग्रा भारवर्ग में जीता स्वर्ण पदक

आर्य कन्या पीजी कालेज में काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन

शाह टाइम्स संवाददाता

हापुड़। आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हापुड़ में आगामी समय में आने वाली परीक्षा को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय की संपूर्ण छात्राओं हेतु एक काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरंभ महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो. साधना तोमर तथा पुरातन छात्रा डा. हेमलता अग्रवाल (कृतकार्य, सह आचार्य राजनीति विज्ञान,एसएसवी पीजी कॉलेज, हापुड़) द्वारा वाग्देवी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्जवलित एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। संगीत विभाग की छात्राओं ने सरस्वती वंदना तथा स्वागत गीत प्रस्तुत किया। मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित पुरातन छात्रा डा.हेमलता ने अपने संबोधन भाषण में छात्राओं को शिक्षा के माध्यम से अत्त दीपो

में शिक्षा की अनिवार्यता को विविध प्रसंगों एवं उदाहरणों के माध्यम से रेखांकित किया। प्राचार्य ने अपने संबोधन भाषण में परीक्षा की तैयारी हेतु कई टिप्स दिए तथा उचित करियर किस प्रकार चुनें एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे

दिए। उन्होंने छात्राओं की विभिन्न शंकाओं का समाधान भी किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय की संपूर्ण छात्राएं एवं प्राध्यापिकाओं ने प्रतिभागिता की। वहीं डा. अमिता शर्मा डा. बबीता अग्रवाल दीपांशी रश्मि कुमारी डा. पूनम भारद्वाज डा.

THE NEWS RED — 01/12/2022

Contact For Advertising : 9634324860 — www.thenewsred.com

आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में "मातृभाषा दिवस" पर आधारित भाषण प्रतियोगिता आयोजित

करियर काउंसलिंग से संबंधित छात्रा कल्याण समिति द्वारा कार्यक्रम आयोजित

स्काउट गाइड के कार्यक्रम में भाग लेतीं छात्राएं । संवाद

...ओं से बचाव की दी जानकारी

सबसे पहले टेंट लगाने में एलिस की टीम रही प्रथम

हापुड़। स्वर्ग आश्रम रोड स्थित एकेपी पीजी कॉलेज में चल रहे रेंजर्स प्रशिक्षण के समापन समारोह में छात्राओं ने आपदाओं से बचने के प्रबंधन पर सीखी चीजों का प्रदर्शन किया। जिला संगठन कमिश्नर नीता कौशिक ने प्रशिक्षण के दौरान छात्राओं को फर्स्ट एड, गांठ बांधना, पट्टी बांधना तथा टेंट लगाने की विस्तृत जानकारी दी। छात्राओं की पांच टोलियां बनाकर टेंट लगाने का कार्य सिखाया गया और टेंट लगाने की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत सरस्वती टीम की ग्रुप लीडर एलिस की टीम प्रथम, संजना की पेट्रोल टीम द्वितीय एवं संजना की कावेरी टीम तृतीय रही। नीता कौशिक ने छात्राओं को ध्वज गीत, शपथ, रेंजर्स के लिए बनाए गए विभिन्न नियमों की जानकारी दी। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो. साधना तोमर ने छात्राओं को एक कुशल रेंजर बनने के लिए प्रेरित किया तथा जीवन में श्रम एवं अनुशासन के महत्व को रेखांकित किया। कार्यक्रम के समापन पर जिला संगठन कमिश्नर नीता कौशिक द्वारा ध्वज की महत्ता को बताया गया तथा ध्वज गीत एवं राष्ट्रगान गाकर कार्यक्रम का समापन किया गया। संवाद

छात्रा चंचल चड्ढा को दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक मिला

स्वर्ण पद जीतने वाली छात्रा चंचल के साथ हापुड़ एकेपी पीजी कॅलेज की शिक्षिकाएं।

हापुड़, संवाददाता। चौधरी चरण सिंह विवि में आयोजित दीक्षांत समारोह में हापुड़ के एकेपी पीजी कॉलेज की स्नातकोत्तर शिक्षाशास्त्र द्वितीय वर्ष की छात्रा चंचल चड्ढा को स्वर्ण पदक मिला है। उन्होंने उक्त विषय में सीसीएसयू को टॉप किया था।

दीक्षांत समारोह में छात्रा को कुलाधिपति राज्यपाल आनंदी बेन पटेल द्वारा विशिष्ट योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया।

महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ साधना तोमर ने छात्रा को महाविद्यालय में सम्मानित किया। साथ ही जीवन में सदैव आगे बढ़ने एवं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्शीवाद दिया।

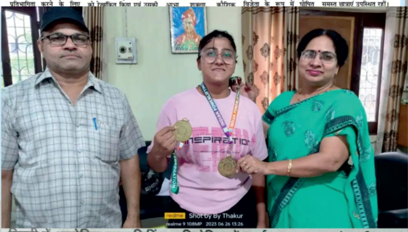

दिल्ली में आयोजित पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली हापुड़ एकेपी पीजी कॉलेज की खिलाड़ी छात्रा कुमारी सुहानी।

सुहानी ने स्वर्ण पदक जीता

हापुड़। एकेपी पीजी कॉलेज हापुड़ की छात्रा सुहानी ने भारोत्तोलन के क्षेत्र में नाम चमकाया है। दिल्ली में पावर लिफ्टिंग एसोसियेशन ऑफ दिल्ली द्वारा आयोजित जूनियर प्रतिस्पर्धा में सुहानी ने स्वर्ण पदक जीतकर महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। कोच करण सिंह के नेतृत्व में सुहानी ने प्रतियोगिता में भाग लिया। महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो .साधना तोमर ने बताया कि सुहानी ने स्क्वाट 115 किलो बेंच प्रेस 52 .5 किलो डेडलिफ्ट 125 किलोग्राम, टोटल 295 किलो वजन उठाया है। सुहानी ने महाविद्यालय का नाम चमकाया है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई है।

महाविद्यालयीय प्रतियोगिताओं के अंतर्गत एकल 'लोकगीत' गायन प्रतियोगिता का आयोजित

...भागीदारी की। कड़ी स्पर्धा के मध्य बी.ए. द्वितीय वर्ष की छात्रा कुमारी मुस्कान वर्मा ने गायन प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो. साधना तोमर ने छात्रा को बधाई दी तथा निरंतर अभ्यासरत रहने के लिए प्रोत्साहित किया।

THE NEWS RED — 24/01/2023

Contact For Advertising : 9634324860 — www.thenewsred.com

एकेपी कॉलेज की प्राचार्या को हिंद शिरोमणि सम्मान

हापुड़, संवाददाता। आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्राचार्या को जयपुर में आयोजित एक समारोह में हिन्द शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया।

29 जनवरी को भव्या फाउंडेशन जयपुर के अंतरराष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन में आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय हापुड़ की प्राचार्या डॉ.साधना तोमर को हिंद-शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया। भव्या फाउंडेशन का अंतरराष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन सम्मान-समारोह में मलेशिया, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड आदि चौदह देशों की विशिष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में साहित्य, पत्रकारिता, समाज सेवा, शिक्षा, कला, ज्योतिष, उद्यम, कृषि, फिल्म, फैशन, ज्योतिष व अन्य क्षेत्र में अपनी प्रतिभा से विशेष मकाम हासिल करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। दस जनवरी 2023 को भी डा. साधना तोमर को मॉरीशस में सहोदरी रत्न उपाधि से सम्मानित किया गया था। साहित्य-सृजन के क्षेत्र में वे देश-विदेश से सैंतालीस राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार व उपाधि प्राप्त कर चुकी हैं।

अंतरमहाविद्यालयी प्रश्न मंच प्रतियोगिता

■ अच्छेजा स्थित एटीएमएस कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित

हापुड़, संवाददाता। अच्छेजा स्थित एटीएमएस कॉलेज के प्रांगण में अंतर्महाविद्यालयी प्रश्न मंत्र प्रतियोगिता कराई गई। जिसमें 26 महाविद्यालयों के 110 प्रतियोगियों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय राजनीति, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल प्रश्न पत्र इन पांच विषयों पर केंद्रित थे। एकेपी पीजी कॉलेज की प्राचार्या डॉ साधना तोमर एवं केशव मारवाड़ डिग्री कॉलेज की प्राचार्या डॉ निशा गर्ग ने अतिथि के रुप में प्रतियोगियों को जीवन में सफलता का संदेश दिया।

चेयरमैन नरेंद्र अग्रवाल, सचिव रजत अग्रवाल ने विजयी प्रतियोगियों को सम्मान राशि प्रदान कर शुभकामनाएं दीं। कार्यकारी निदेशक डॉ राकेश अग्रवाल ने प्रतियोगियों को प्रेरित करते हुए कहा कि भरो मुट्ठी में सागर तुम छुओ ऊंचाइयां नभ की, रखो तुम हौसला मन में मिलें अच्छाइयां जग की।

बुधवार को हापुड़ एटीएमएस कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में एकेपी पीजी कॉलेज की प्राचार्य का सम्मान करते प्रबंधक।

प्राचार्य डॉ अरुण कुमार, डॉ संजय कुमार, सवित बौद्ध, डॉ अमिता शर्मा, प्रीति रानी, ज्योति शर्मा, मनवीर सिंह, रजिस्ट्रार प्रतीक शर्मा, एडमिन हेड एसके शर्मा, नितिन कौशिक, घनेंद्र पाल सिंह, पवन कुमार, रवि कुमार का सहयोग रहा।

नियमों का सभी करें पालन

कार्यक्रम में छात्राओं को संबोधित करते एसपी दीपक भूकर। संवाद

हापुड़। स्वर्ग आश्रम रोड स्थित एकेपी पीजी कॉलेज में बुधवार को सड़क सुरक्षा दिवस के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसमें छात्राओं ने रंगोली और अन्य प्रतियोगिताओं के माध्यम से यातायात के नियमों को बताया। मुख्य अतिथि एसपी दीपक भूकर ने कहा कि जीवन अनमोल है। यातायात के नियमों का पालन नहीं करने से दुर्घटनाएं होती हैं। हमें इसमें बदलाव करना होगा। घर से निकलने के दौरान यातायात के नियमों का पालन करना होगा। गाड़ी को निर्धारित गति से चलाएं, सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। दोपहिया वाहन चलाते समय हेल्मेट अवश्य लगाएं।

संगीत विभागाध्यक्ष डॉ. जया शर्मा के निर्देश में छात्राओं ने दीपगान, सरस्वती वंदना, स्वागत गान प्रस्तुत किया। निर्णायक मंडल में डॉ. अरुणा शर्मा, संगीता अग्रवाल, डॉ. अर्पणा त्रिपाठी ने पोस्टर प्रतियोगिता में मनीषा को प्रथम, इब्रा कुससुम को द्वितीय, प्रियांशी सिंह को तृतीय स्थान दिया। निबंध लेखन में रिया ने प्रथम, दीप्ति ने द्वितीय, संजना ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। रंगोली प्रतियोगिता में तनिष्का ने प्रथम, इशिका ने द्वितीय, पूजा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। भाषण प्रतियोगिता में काजल ने प्रथम, फौजिया ने द्वितीय, पारूल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। निर्णायक में डॉ. अमिता शर्मा और नीशू यादव रहीं। प्राचार्या डॉ. साधना तोमर ने सभी का आभार व्यक्त किया।

छात्रों को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई

गढ़मुक्तेश्वर। ब्लॉक क्षेत्र के गांव लोधीपुर सोभन में स्थित एचआरएम सीनियर सैकेंड्री स्कूल में बुधवार को छात्रों को यातायात के नियमों की जानकारी दी गई। स्कूल प्रबंधक नगेंद्र सिंह ने कहा कि अधिकांश सड़क हादसे लापरवाही का ही नतीजा होते हैं, जिनमें कई लोगों की जान चली जाती है। वहीं बहुत से लोग अपाहिज हो जाते हैं। लापरवाही और यातायात नियमों का उल्लंघन जीवन को खतरे में डाल सकता है। इसलिए वाहन चलाने के साथ ही सड़क पर चलने के दौरान नियमों का पालन करना जरूरी है। नगेंद्र सिंह ने कहा कि वाहन चलाने और लाइसेंस बनवाने के लिए 18 वर्ष की आयु होना जरूरी है। इस लिए बिना लाइसेंस वाहन किसी भी दशा में वाहन नहीं चलाना चाहिए। इसके अलावा बाइक समेत अन्य दोपहिया वाहन चलाने के दौरान हेलमेट लगना, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बैल्ट अनिवार्य है। उन्होंने सभी को नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलाई, ताकि अपना और दूसरों का जीवन सुरक्षित रहे। संवाद

भाषण प्रतियोगिता में काजल रहीं अव्वल

हापुड़ में नेहरु युवा केंद्र द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओ में जीती एकेपी पीजी कॉलेज की सम्मानित प्रतिभागी छात्राएं। • हिन्दुस्तान

हापुड़। नेहरू युवा केंद्र भारत द्वारा जिला स्तरीय प्रतियोगिता के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्राध्यापिका डॉ. सर्वेश और प्रियंका सोनकर ने बताया कि भाषण में काजल शर्मा प्रथम स्थान पर रहीं। जबकि कविता में मानसी को तृतीय स्थान एवं फोटोग्राफी प्रतियोगिता में करीना को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।

आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मातृभाषा दिवस पर आधारित भाषण प्रतियोगिता आयोजित

चेतन कुमार/वीर सिंह

संवाददाता, हापुड़। हापुड़ के आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, में मातृभाषा दिवस का आयोजन किया गया।

गायन में मानसी ने मारी बाजी

महिला सशक्तिकरण पर शोध कार्य की मौखिक परीक्षा संपन्न

हापुड़(करंट क्राइम)। आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में शोध छात्रा दीपाली शर्मा के शोध कार्य की मौखिकी परीक्षा संपन्न हुई। वाहय परीक्षक के रूप में प्रोफेसर एके शुक्ला विभाग अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने प्रश्नोत्तरी आयोजित की।

जिसको डॉ अरुणा शर्मा के निर्देशन में संपन्न किया गया और इसका शीर्षक 'वीमेन इन दा नॉवेलस ऑफ कमला मारकंडे कांटेम्परी इंटरप्राटेशन' था। इस कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ साधना तोमर ने अतिथि का स्वागत किया एवं छात्राओं को शोध की महत्ता बताते हुए उत्साहवर्धन किया। प्रोफेसर एके शुक्ला ने इस मौखिकी की प्रशंसा करते हुए इसे न्यायोचित ठहराया।

अंग्रेजी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ अरुणा शर्मा ने समाज में स्त्रियों की भूमिका पर प्रकाश डाला। डॉ आभा शुक्ला कौशिक ने छात्राओं को प्रोत्साहित किया। डॉ अलका सिंह ने अतिथियों का धन्यवाद किया तथा छात्राओं को आगे बढ़ने का संदेश दिया। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मीनू कश्यप ने किया इस कार्यक्रम में अंग्रेजी विभाग की समस्त शिक्षिकाएं, शोध छात्राएं तथा स्नातकोत्तर स्तर की सभी छात्राएं उपस्थित रही।

महाविद्यालय-प्रबन्ध-समिति एवं आर्य कन्या शिक्षा समिति, हापुड़ का विवरण

प्रबन्ध-समिति आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हापुड़

1. श्री नरेन्द्र कुमार आर्य	प्रधान
2. श्री सत्यनारायण अग्रवाल	उप-प्रधान
3. श्री योगेन्द्र कुमार	सेक्रेटरी
4. श्री अनिल कुमार	संयुक्त सेक्रेटरी
5. श्री आनन्द प्रकाश आर्य	जनरल सेक्रेटरी
6. डॉ0 विकास अग्रवाल	सदस्य
7. श्रीमती प्रतिभा भूषण	सदस्य
8. श्री पीयूष बंसल	सदस्य
9. श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	सदस्य
10. श्रीमती बीना आर्य	सदस्य
11. श्री प्रमोद कुमार गर्ग	सदस्य
12. श्री सोहन लाल	सदस्य
13. श्री रविन्द्र कुमार अग्रवाल	सदस्य
14. प्रो0 (डॉ0) साधना तोमर	प्राचार्या
15. डॉ0 शालिका अग्रवाल	प्राध्यापिका प्रतिनिधि
16. डॉ0 जया शर्मा	प्राध्यापक प्रतिनिधि
17. डॉ0 आभा शुक्ला कौशिक	प्राध्यापक प्रतिनिधि
18. श्री कैलाश चन्द्र गौड़	तृतीय श्रेणी प्रतिनिधि

आर्य कन्या शिक्षा समिति, हापुड़ (उ0प्र0)

1. श्री नरेन्द्र कुमार आर्य	प्रधान
2. श्री सत्यनारायण अग्रवाल	उप-प्रधान
3. श्री आनन्द प्रकाश आर्य	जनरल सेक्रेटरी
4. श्री अंकित गर्ग	संयुक्त जनरल सेक्रेटरी
5. श्री योगेन्द्र कुमार	सेक्रेटरी
6. श्री अनिल कुमार	संयुक्त सेक्रेटरी
7. श्री प्रमोद कुमार गर्ग	प्रबन्धक
8. श्री पदम चन्द्र सर्राफ	उप-प्रबन्धक
9. श्री प्रणव आर्य	कोषाध्यक्ष
10. डॉ0 विकास अग्रवाल	आर्य समाज प्रतिनिधि
11. श्री इन्दु भूषण मित्तल	आर्य समाज प्रतिनिधि
12. श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल	आर्य समाज प्रतिनिधि
13. श्रीमती बीना आर्य	आर्य समाज प्रतिनिधि
14. श्रीमती प्रतिभा भूषण	आर्य समाज प्रतिनिधि
15. श्रीमती शशी सिघंल	आर्य समाज प्रतिनिधि
16. श्रीमती पुष्पा आर्य	आर्य समाज प्रतिनिधि
17. श्री सुरेश चन्द सम्पादक	दी.म.व्या.मण्ड. के प्रतिनिधि
18. श्री प्रशान्त अग्रवाल	विशिष्ट सदस्य
19. श्री विकास गर्ग	विशिष्ट सदस्य
20. श्री पवन कुमार आर्य	विशिष्ट सदस्य
21. श्री अरूण कुमार अग्रवाल	विशिष्ट सदस्य
22. श्री पीयूष बंसल	विशिष्ट संरक्षक सदस्य
23. श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	विशिष्ट संरक्षक सदस्य
24. श्री शंशाक आर्य	संरक्षक सदस्य
25. श्री सोहन लाल	संस्थापक सदस्य
26. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	दानदाता सदस्य
27. श्री त्रिलोक चन्द	दानदाता सदस्य
28. श्री राकेश माहेश्वरी	आजीवन सदस्य
29. श्रीमती वीना आर्य	हितैषी सदस्य
30. श्री रविन्द्र कुमार अग्रवाल	हितैषी सदस्य
31. श्री दीनदयाल गुप्ता	प्रतिष्ठित सदस्य
32. सुश्री हेमलता	प्रतिष्ठित सदस्य

सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रदान किये जाने वाले स्वर्ण-पदक का विवरण

क्र0 सं0	पुरस्कार का नाम	प्रदाता का नाम	कक्षा
1.	श्री चरण सिंह वर्मा स्मृति-पदक	डॉ0 साधना तोमर	एम0 ए0, अंतिम वर्ष (समस्त विषय के अन्तर्गत सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता)
2.	श्रीमती प्रकाशवती शर्मा स्मृति-पदक	डॉ0 अरुणा शर्मा	अंग्रेजी (एम0ए0, अंतिम वर्ष)
3.	श्री हरप्रसाद गुप्ता स्मृति-पदक	डॉ0 संगीता अग्रवाल	संस्कृत (एम0ए0, अंतिम वर्ष)
4.	डॉ0 रमेश चन्द्र अग्रवाल स्मृति-पदक	डॉ0 बबीता अग्रवाल	अर्थशास्त्र (एम0ए0, अंतिम वर्ष)
5.	श्री हेमन्त शर्मा स्मृति-पदक	डॉ0 अमिता शर्मा	बी0ए0 (अंतिम वर्ष)
6.	श्रीमती डा0 महारानी शर्मा स्मृति-पदक	डॉ0 जया शर्मा	संगीत (स्नातक, अंतिम वर्ष)
7.	श्रीमती मुन्नी देवी गोयल स्मृति-पदक	डॉ0 योगेश गोयल	बी0कॉम0 (अंतिम वर्ष)
8.	डॉ0 राजकुमारी गुप्ता स्मृति-पदक	श्री हर्ष कंसल, श्री संजय गुप्ता	राजनीति विज्ञान (स्नातक, अंतिम वर्ष)

शिक्षणेत्तर कर्मचारी

कार्यालय-कर्मचारी वर्ग

क्र0 सं0	कर्मचारी नाम	पद
1.	श्री कैलाश चन्द्र गौड़	कार्यालय अधीक्षक
2.	श्री ओंकार सिंह	स्टेनो
3.	सहायक लेखाकार	रिक्त
4.	नैत्यिक लिपिक	रिक्त
5.	नैत्यिक लिपिक	रिक्त
6.	नैत्यिक लिपिक	रिक्त
7.	श्रीमती सीमा त्यागी	गृहविज्ञान लैब सहायिका
8.	तबला संगीतकार	रिक्त

पुस्तकालय-कर्मचारी वर्ग

क्र0 सं0	कर्मचारी नाम	पद
1.	पुस्तकालय अध्यक्ष	रिक्त
2.	पुस्तकालय लिपिक	रिक्त
3.	बुकलिफ्टर	रिक्त
4.	बुकलिफ्टर	रिक्त

चतुर्थ श्रेणी-कर्मचारी वर्ग

क्र0 सं0	कर्मचारी नाम	पद
1.	श्री डालचन्द	दफ्तरी
2.	श्री अमित चौधरी	माली
3.	श्री जतिन कुमार कटारिया	चपरासी
4.	श्री चन्द्र प्रकाश	चपरासी
5.	श्री विशाल	सफाईकर्मी
6.	महरी	रिक्त
7.	महरी	रिक्त
8.	लैब परिचायिका (गृह विज्ञान)	रिक्त
9.	चौकीदार	रिक्त

महाविद्यालय में देय शुल्क की संरचना

सत्र 2023–24 का बी. ए. प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष का प्रवेश के समय शुल्क जमा करने का विवरण

क्र0 सं0	विषय– जिनके अनुसार शुल्क निर्धारित है	बी0ए0 प्रथम वर्ष	बी0ए0 द्वितीय वर्ष	बी0ए0 तृतीय वर्ष
1.	जिनके पास कोई प्रयोगात्माक विषय नहीं है।	1391.00	1191.00	1191.00
2.	जिनके पास एक प्रयोगात्मक विषय गृहविज्ञान या संगीत है	1631.00	1431.00	1431.00
3.	जिनके पास दो प्रयोगात्मक विषय गृहविज्ञान व संगीत है	1871.00	1671.00	1671.00
4.	जिनके पास एक प्रयोगात्मक विषय कला है	2831.00	2631.00	2631.00
5.	जिनके पास दो प्रयोगात्मक विषय कला तथा संगीत या गृहविज्ञान विषय है	3071.00	2871.00	2871.00
6.	जिनके पास तीन प्रयोगात्मक विषय गृहविज्ञान, संगीत तथा कला है	3311.00	3111.00	3111.00

सत्र 2023–24 का बी.कॉम. प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष का प्रवेश के समय शुल्क जमा करने का विवरण

क्र0 सं0	विषय– जिनके अनुसार शुल्क निर्धारित है	बी0कॉम0 प्रथम वर्ष	बी0कॉम0 द्वितीय वर्ष	बी0कॉम0 तृतीय वर्ष
1.	कॉमर्स	10391.00	10191.00	10191.00

नोट :– स्किल डेवलेपमेंट की फीस विश्वविद्यालय आदेशानुसार 250/– रूपये प्रति सेमेस्टर अतिरिक्त देय होगी।

1. विश्वविद्यालय/शासन/कॉलिज द्वारा उपरोक्त शुल्क में नियमानुसार परिर्वतन किया जा सकता है जो सभी छात्रओं को मान्य होगा।
2. शिक्षाशास्त्र विषय प्रयोगात्मक विषय नहीं माना जायेगा।
3. विश्वविद्यालय/शासन/कॉलिज द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का सभी को पालन करना होगा।

सत्र 2023–24 का एम.ए. कक्षाओं का प्रवेश के समय शुल्क जमा करने का विवरण

विषय	प्रथम सेमेस्टर	द्वितीय सेमेस्टर	तृतीय सेमेस्टर	चर्तुथ सेमेस्टर
अंग्रेजी	1287.00	-	1087.00	-
संस्कृत	1287.00	-	1087.00	-
शिक्षा शासत्र (स्ववित्तपोषित)	9287.00	-	9087.00	-
अर्थ शास्त्र (स्ववित्तपोषित)	3787.00	-	3587.00	-

(N) छात्रा द्वारा वार्षिक परीक्षाफल /दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में **Result Not Yet Declared** विकल्प चुनते हुए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा ऐसी सभी छात्राओं का डाटा सन्देहास्पद श्रेणी में रखा जायेगा ।

(O) जिन छात्राओं के छात्रवृत्ति फार्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी सन्देहास्पद श्रेणी में आने वाली छात्राओं की एक सूची महाविद्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जायेगी ऐसी छात्राओं को अपने वांछित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति पुनः महाविद्यालय में जमा करानी होगी ।

विशेष नोट केवल अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए : -

यदि अल्पसंख्यक छात्राएं भारत सरकार की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करती हैं तो ऐसी छात्राएं उत्तर प्रदेश शासन की दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में आवेदन नहीं कर पायेंगी तथा उन्हें अपने शपथ-पत्र में स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि वह किसी अन्य योजना का लाभ नहीं ले रही हैं व उनके द्वारा किसी अन्य योजना में आवेदन नहीं किया गया है ।

1. अनुसूचित जाति की छात्राओं को छात्रवृत्ति फार्म के साथ पूर्ण रूप से भरकर जमा कराना आवश्यक है ताकि छात्रवृत्ति फार्म समय से समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जा सके छात्रवृत्ति फार्म दो प्रतियों में भरकर जमा कराना आवश्यक है। फार्म के साथ आय प्रमाण-पत्र मूल रूप में जाति प्रमाण-पत्र, अंक पत्र की फोटो कॉपी तथा बैंक की पास बुक की फोटो कॉपी जिससे बैंक खाता संख्या ज्ञात हो लगानी आवश्यक है। केवल उत्तीर्ण छात्रायें ही छात्रवृत्ति का फार्म भरने हेतु योग्य हैं। छात्रवृत्ति का खाता हापुड़ की किसी भी सी0बी0एस0 बैंक शाखा में होना आवश्यक है।

नोटः- छात्राओं के आधार कार्ड में नाम, पिता का नाम, माता का नाम , जन्मतिथि, व लिंग हाईस्कूल की अंकतालिका के अनुसार ही होने चाहिए किसी भी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर छात्रवृत्ति का फार्म स्वीकार्य नहीं होगा ।

पी-एच0डी0(उपाधि) करने वाले शोधार्थियों के लिए शुल्क निम्न अनुसार है:-

1. सभी शोधार्थियों का प्रवेश (पंजीकरण) शुल्क 500 /- रूपये में किया जायेगा ।
2. सभी कला छात्राओं के लिए 100/-रूपये प्रतिमाह होगा । तीन वर्ष का शुल्क जमा कराना होगा।
3. सभी शोधार्थियों को पंजीकरण के समय पुस्तकालय प्रतिभूति 1000 /-रूपये अनिवार्य रूप में जमा करनी होगी ।

Uniform

नये सत्र 2023-24 से महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाली छात्राओं का वेश-भूषा इस प्रकार रहेगी।

बी0ए0, बी0 कॉम0 छात्रायें	सफेद कुर्ता, सफेद सलवार व दुपट्टा मैरून	कुर्ता	सलवार	दुपट्टा
एम0ए0 छात्रायें	सफेद कुर्ता, सफेद सलवार व दुपट्टा सफेद	कुर्ता	सलवार	दुपट्टा

नोटः- सभी छात्राओं के लिए मैरून जैकेट(कोट) या स्वेटर।

सत्र 2023-24 में सामान्य जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक /अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति संबंधित नियम

दशमोत्तर कक्षाओं के सत्र 2023-24 के नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण के अवशेष (Renewal) छात्र/छात्राओं हेतु-

1. सर्वप्रथम छात्रवृत्ति का आवेदन करने वाली छात्राओं को समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अधिकृत वेबसाईट पर ऑनलाइन आवेदन करना है ।
2. ऑनलाइन आवेदन के पश्चात महाविद्यालय के छात्रवृत्ति सम्बन्धित लिपिक से आवेदन पत्र की जाँच करवानी है कि ऑनलाइन आवेदन करने में कोई त्रुटि तो नहीं है यदि ऑनलाइन आवेदन करने में कोई त्रुटि हुई है तो समाज कल्याण विभाग , उत्तर प्रदेश शासन की अधिकृत वेबसाईट पर त्रुटि केवल आगामी तीन दिवसों में ठीक की जा सकती है ।
3. छात्रा छात्रवृत्ति का फाईनल प्रिन्ट निकलवाकर अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्रों सहित महाविद्यालय छात्रवृत्ति समिति के समक्ष प्रस्तुत होकर मूल प्रमाण-पत्रों की जाँच करवाकर छात्रवृत्ति लिपिक से महाविद्यालय छात्रवृत्ति फार्म प्राप्त करना है व उसे पूर्ण करके अपने-अपने विषयों के सम्बन्धित प्राध्यापिका से उपस्थिति का प्रतिशत प्राप्त करके उस फार्म को फाईनल प्रिन्ट के साथ अपने समस्त प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति संलग्न करके सम्बन्धित लिपिक के पास जमा करायेंगी ।
4. छात्रवृत्ति का ऑनलाइन आवेदन पत्र दो प्रतियों में महाविद्यालय में जमा करना है । (एक सेट महाविद्यालय में जमा करना है व एक सेट छात्रा को अपने पास सुरक्षित रखना है।)
5. ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ निम्न वांछित प्रमाण - पत्र संलग्न करने है -

(A) हाईस्कूल अंकतालिका की छायाप्रति ।

(B) इन्टरमीडिएट अंकतालिका की छायाप्रति ।

(C) स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष की छात्राओं के लिए गत वर्ष की अंकतालिका की छायाप्रति । (पूर्व के वर्ष की केवल उत्तीर्ण अंकतालिका होनी चाहिए भूतपूर्व / बैक पेपर की छात्रा छात्रवृत्ति का फार्म भरने के पात्र नहीं होंगे ।)

(D) परास्नातक कक्षा की छात्राओं को स्नातक की तीनो वर्षो की अंकतालिका की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

(E) शासन के आदेशानुसार आय प्रमाण-पत्र 2,00,000 /- तक का ही मान्य होगा जिनके अभिभावकों की आय 2,00,000/- से अधिक है ऐसी छात्राएं छात्रवृत्ति का फार्म भरने की पात्र नही होंगी ।

(F) जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति ।

(G) आधार कार्ड की छायाप्रति (आधार कार्ड ,बैंक खाता संख्या व मोबाईल नम्बर से लिंक होना अनिवार्य है ।)

(H) मूल निवास प्रमाण-पत्र की छायाप्रति ।

(I) बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक व जनपद हापुड़ का ही होना आवश्यक है ।

(J) महाविद्यालय से प्राप्त प्रवेश शुल्क रसीद की छायाप्रति ।

(K) बैंक पास बुक की छायाप्रति ।

(L) दो शपथ-पत्र (एक शपथ-पत्र स्वयं छात्रा द्वारा कि मेरे द्वारा छात्रवृत्ति के आवेदन में कोई भी सूचना छिपायी नहीं गयी है व सभी वांछित संलग्न सत्य है व एक माता-पिता का होना अनिवार्य है, माता-पिता द्वारा दिये गये शपथ-पत्र में यह घोषणा करनी अनिवार्य है कि वे किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं है ।

(M) वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी /उत्तीर्ण / प्रोन्नत (Promoted with marks / Promoted without marks) होने पर ही छात्रा अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगी ।

पुस्तकालय के नियम

1. पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त करने के लिए प्रत्येक छात्रा को पुस्तकालय कार्ड से दिए जाएंगे यह कार्ड पुस्तकालय से निश्चित अवधि तक ही प्राप्त किए जा सकते हैं।
2. एक पुस्तकालय कार्ड पर केवल एक ही पुस्तक दी जाएगी। पुस्तक कार्ड धारक को ही दी जाएगी अन्य छात्रा व परिचितों को नहीं।
3. पुस्तक प्राप्त करने के लिए छात्रा को निर्धारित काउंटर पर पर्ची देनी होगी , जिसमें पुस्तक का नाम व लेखक का नाम लिखना होगा। यदि पुस्तक उपलब्ध है। तो अगले कार्य दिवस में दे दी जाएगी।
4. पुस्तक प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय कार्ड के साथ परिचय पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
5. पुस्तक केवल 14 दिन के लिए ही दी जाएगी । पुस्तकों को निर्धारित तिथि पर लौटाना होगा।
6. पुस्तक प्राप्त करते समय छात्रा का यह कर्तव्य है कि पुस्तक को अच्छी तरह देख ले कि पुस्तक अच्छी अवस्था में है। पृष्ठ कटे-फटे तो नहीं हैं, जमा करते समय पुस्तक में कोई कमी पाई गई तो उसका उत्तरदायित्व छात्रा का ही होगा।
7. छात्राओं को केवल उसी विषय की पुस्तक दी जाएगी जिन विषयों में वे अध्ययनरत हैं।
8. यदि पुस्तकालय अध्यक्षा सहमत हैं कि किसी छात्रा का निश्चित अवधि के बाद दूसरा कार्ड बनाया जाए तभी उसका दूसरा कार्ड बनेगा।
9. पुस्तकालय कार्ड खो जाने अथवा किसी अन्य छात्रा द्वारा कार्ड पर पुस्तक निकलवा लिए जाने पर भी दायित्व उसी छात्रा का होगा जिसका कार्ड पर नाम अंकित है।
10. छात्राओं को पुस्तक एवं पुस्तकालय कार्ड परीक्षा आरंभ होने के एक सप्ताह पूर्व निश्चित रूप से जमा करना होगा।
11. पुस्तकालय की पुस्तक होने चोरी होने अथवा फटने की स्थिति में छात्रा को 3 गुना मूल्य जमा करना होगा अथवा पुस्तक का नवीन संस्करण पुस्तकालय में जमा कराना होगा।

जाने की ओर सदैव प्रयत्नशील रहें ।

3. महाविद्यालय में सूचनापट्ट प्रतिदिन देखें । महत्वपूर्ण सूचनाएं छात्रों के जीवन में परिवर्तन ला देती हैं ।
4. महाविद्यालय के सुचारू संचालन तथा इसे श्रेष्ठतम बनाने में अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करें ।
5. अपना आचरण और व्यवहार शुद्ध एवं निष्कलंक रखें । यदि कोई छात्रा आचार, व्यवहार और भद्रता के नियमों का उल्लंघन करते पायी गयी तो उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है ।
6. परीक्षा में बैठने के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है ।
7. पुस्तकालय के वाचनालय कक्ष में अधिक से अधिक समय अध्ययन में लगायें । पुस्तकालय में बहुत सी पुस्तकें ऐसी हैं जो अब बाजार में उपलब्ध नहीं है अतः पुस्तकों पर किसी भी तरह का निशान न लगायें । किसी पन्ने को मोड़ना या फाड़ना तो जघन्य कार्य है । यदि कोई छात्रा ऐसा करले तो उसकी शिकायत पुस्तकालयाध्यक्ष से करें, पुस्तकें हम सबकी ही नहीं अपितु हमारी भावी पीढ़ी की भी सम्पत्ति है और हममें से किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि उन्हें पुस्तकें प्राप्त करने से वंचित कर दें ।
8. शारीरिक शिक्षा एवं खेलों से सम्बन्धित कार्य-कलापों में भाग लिए बिना शिक्षा एकपक्षीय रह जाती है । महाविद्यालय में उपलब्ध खेलों की सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठायें ।
9. ऐसी छात्राऐं जिन्हें विश्वविद्यालय में व्यक्तिगत रूप से जाकर अपने महाविद्यालयी शिक्षा सम्बंधी कुछ कार्य जैसे अंकतालिका, प्रवेश-पत्र, डिग्री आदि लेनी है, वे सीधे ही रजिस्ट्रार के पास न जाकर अपने प्रार्थना-पत्र पर, प्राचार्य अथवा उनके द्वारा इस उद्देश्य के लिए नामित प्राध्यापिका से अग्रसारित कराकर ही विश्वविद्यालय जायें ।

परिचय पत्र

प्रवेश के समय सभी छात्राओं को महाविद्यालय द्वारा परिचय-पत्र दिया जाएगा। प्रत्येक छात्रा को पासपोर्ट साइज (सामने से खींचा) फोटो परिचय-पत्र पर लगाकर अपने चीफ-प्रोक्टर का हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है। प्रत्येक छात्रा को परिचय-पत्र हर समय अपने पास रखना अनिवार्य है। परिचय-पत्र खो जाने पर दूसरा परिचय-पत्र आवश्यक शुल्क जमा करके कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। परिचय-पत्र का फोटो महाविद्यालय की निर्धारित यूनिफॉर्म में होना अनिवार्य है।

उपस्थिति

1. कोई छात्रा उस समय तक किसी भी विश्वविद्यालय परीक्षा में नहीं बैठ सकेगी जब तक कि उस विषय में लिखित तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में अलग-अलग उसकी 75% उपस्थिति न हो।
2. उपस्थिति में 5% की छूट प्राचार्य महोदया तथा विशेष परिस्थिति में 10% की छूट कुलपति महोदय दे सकते हैं।
3. उपस्थिति की गणना महाविद्यालय में शिक्षण प्रारंभ होने की तिथि से होगी। चाहे प्रवेश किसी भी तिथि को दिया गया हो।
4. विषय परिवर्तन की स्थिति में पूर्व विषयों की उपस्थिति के बाद परिवर्तित विषय या विषयों को उपस्थिति में नहीं जोड़ा जाएगा।
5. यदि कोई छात्रा लगातार 10 दिन तक कक्षा में अनुपस्थित रहेगी तो उसका नाम महाविद्यालय की नामावली से काट दिया जाएगा।
6. प्रत्येक माह छात्रा की उपस्थिति विश्वविद्यालय तथा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के यहां भेजी जाएगी।

के प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

3. महाविद्यालय की सभी छात्राओं के लिए प्रवेश के बाद अधिकतम 1 माह के अन्दर अपना परिचय-पत्र पूर्ण कराना अनिवार्य है। यदि इस अवधि में परिचय-पत्र पूर्ण नहीं होता है तो अगले 10 दिन तक उस पर रु0 100/- का अर्थदण्ड लगाया जायेगा इसके पश्चात् अगले 10 दिनों तक रु0 200/- का अर्थदण्ड लगाया जायेगा। प्रवेश के एक माह के बाद अगले 10 दिन तक 500/- का अर्थदण्ड लगाया जायेगा। इस अवधि के बाद भी यदि परिचय-पत्र पूर्ण नहीं होता है तो उन छात्राओं का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
4. परिचय-पत्र खो जाने की स्थिति में छात्रा को पुलिस में रिपोर्ट की कापी तथा तत्सम्बन्धित नोटरी का शपथ-पत्र उपलब्ध कराना होगा तभी उसे द्वितीय परिचय-पत्र जारी किया जा सकेगा।
5. परिचय पत्र और प्रार्थना पत्र के लिए पासपोर्ट साइज के तीन फोटो की आवश्यकता होगी। परीक्षा फार्म भरने के लिए भी कुछ फोटो चाहिए। अत: एक साथ ही 6 फोटो बनवा लें।
6. फोटो में चेहरे के दोनों पार्श्व दिखाई देने चाहिए । फोटो के नीचे का सफेद भाग चीफ प्रोक्टर के हस्ताक्षर के लिए खाली छोड़ देना चाहिए । छात्राएं अपने हस्ताक्षर फोटो पर न करें, नीचे नियत स्थान पर करें ।
7. छात्राएं बरामदे में न घूमें और कक्षाओं के सामने से गुजरते समय बात न करें, क्योंकि ऐसा करने से कक्षा में अध्ययन और अध्यापन में विघ्न पड़ता है। नियम का पालन न करने की स्थिति में अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी ।
8. महाविद्यालय परिसर में लगे पेड़-पौधों को नुकसान पहुँचाना दीवारों व कक्षाओं को गन्दा करना या उन पर कुछ लिखना दण्डनीय है ।
9. अपने सहपाठियों , प्राध्यापिकाओं तथा अन्य कर्मचारियों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करें ।
10. यदि किसी छात्रा को किसी कारण से महाविद्यालय से निलम्बित किया गया है तो उसके निलम्बन की समाप्ति उसके द्वारा नोटरी का शपथ-पत्र व माफीनामा देने पर ही की जायेगी । नोटरी का शपथ-पत्र न देने की स्थिति में उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
11. किसी भी नियम की अवहेलना दण्डनीय है ।
12. प्रतिदिन छात्राओं को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड (यूनिफॉर्म) में आना अनिवार्य है। स्नातक हेतु सफेद सलवार कुर्ता एवं मैरून दुपट्टा, स्नातकोत्तर हेतु सफेद सलवार कुर्ता एवं सफेद दुपट्टा तथा शीत ऋतु में मैरून कोट अथवा कार्डिगन निर्धारित ड्रेस कोड है।
13. प्राचार्य कक्ष के सामने घूमना, बैठना, खड़े होकर बातचीत करना अथवा बिना अनुमति के प्राचार्या कक्ष में प्रवेश करना मना है।
14. छात्राऐं अपने निर्धारित प्रसाधन कक्ष का ही प्रयोग करें। शिक्षिकाओं के प्रसाधन कक्ष का नहीं ।
15. खाली समय में छात्राएं पुस्तकालय तथा उनके लिए निर्धारित स्थानों का ही प्रयोग करें।
16. अवकाश दिवस पर छात्राओं को महाविद्यालय में आना मना है। महाविद्यालय द्वारा नोटिस जारी किए जाने पर वे महाविद्यालय आ सकती हैं।
17. अध्यापन कार्य दिवस पर छात्राएं निर्धारित समय पर ही विद्यालय से बाहर जा सकती हैं।
18. महाविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र छात्राएं अवश्य लेकर आएं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत किया जा सके।

सामान्य व्यवहार सम्बन्धी निर्देश

1. इस विवरणिका में दिये गये प्रत्येक नियम को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा तत्सम्बन्धी नियमों का पालन करना सुनिश्चित करें ।
2. यह महाविद्यालय हापुड़ नगर की सबसे बड़ी कन्या शिक्षण संस्था है । इसकी छात्रा होने पर आपसे अपेक्षा की जाती है कि इसके सम्मान की रक्षा के लिए महाविद्यालय में तथा महाविद्यालय के बाहर भी आप शोभनीय व्यवहार करेंगी। शिक्षा-जगत में इस संस्था को अत्यधिक सम्मानजनक स्थान प्राप्त है । यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके छात्राएं ऊँचे पदों पर पहुँचती हैं । अत: ज्ञानार्जन के क्षेत्र में परिश्रम के सहारे आगे

6. बहुविषयकता सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव पेपर सभी छात्राओं को किसी भी चौथे विषय (उनके द्वारा लिए गए तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।
7. तीसरे मुख्य विषय (मेजर) तथा गौण विषय चयनित पेपर (माइनर इलेक्टिव पेपर) का चयन छात्राओं को इस प्रकार करना होगा कि इनमें से कोई एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (other faculty) से हो।
8. कोई छात्रा एक माइनर इलेक्टिव पेपर स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर में तथा दूसरा माइनर इलेक्टिव पेपर द्वितीय वर्ष के तृतीय अथवा चतुर्थ सेमेस्टर में ले सकती है। अर्थात विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।
9. विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर इलेक्टिव पेपर आवंटित किया जाएगा।
10. प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम 2 वर्षों (4 सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट (3X4 = 12 क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम) एक रोजगारपरक /कौशल विकास पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा।
11. स्नातक स्तर की प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (6 सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह पाठ्यक्रम करना अनिवार्य होगा।

विशेष सूचना

1. शासन एवं विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को परीक्षा से रोक दिया जायेगा । इसलिए विद्यार्थियों का प्रतिदिन कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य है ।
2. प्रवेश के लिए पंजीकरण करा लेने के बाद, प्रवेश देने के लिए महाविद्यालय की बाध्यता नहीं होगी ।
3. प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश योग्य पात्रता रखने वाली छात्राओं की योग्यता - सूची (मेरिट लिस्ट) निर्गत होने के बाद छात्राएं यह सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम सूची में है । तभी वह प्रवेश शुल्क आदि ड्राफ्ट प्रवेश के निर्धारित अवधि के अन्तर्गत प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। पंजीकरण की रसीद अवश्य साथ लायें ।
4. विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क तथा नामांकन शुल्क (विश्वविद्यालय में प्रथम प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को) प्रवेश लेते समय देने होंगे । नामाकंन शुल्क केवल एक बार देना होगा ।
5. प्रवेश लेते समय सभी वार्षिक शुल्क और प्रतिभूतियाँ जमा कराने आवश्यक है ।
6. यदि कोई छात्रा अपना प्रवेश निरस्त कराती है तो उसका केवल परीक्षा शुल्क (यदि वह धन विश्वविद्यालय नहीं भेजा गया है)एवं प्रतिभूति धन ही वापिस किया जायेगा ।
7. प्रवेश लेते समय जमा होने वाली समस्त प्रतिभूतियाँ प्रत्येक वर्ष के दिसम्बर , जनवरी माह में ही वापिस की जायेंगी। प्रतिभूति निकालते समय प्रतिभूति की रसीद प्रार्थना पत्र के साथ अवश्य लगायें ।
8. विद्यार्थी कोई भी धन शुल्क कार्यालय अथवा महाविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य कहीं जमा न करें और जो धन कार्यालय में जमा करें उसकी रसीद अवश्य लें।

महाविद्यालय के महत्वपूर्ण अन्य नियम

अनुशासन सम्बन्धी नियम

महाविद्यालय छात्राओं को शिक्षा के साथ-साथ संस्कारित भी करता है। अध्यापन कार्य सुचारु रुप से चले, इसके लिए अनुशासन संबंधी नियम बनाए गए हैं।

1. किसी भी छात्रा को महाविद्यालय परिसर में मोबाईल लाने की अनुमति नहीं है।
2. महाविद्यालय में रैगिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है। यदि कोई भी छात्रा रैगिंग करते पायी जाती है तो उसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली

भेजे जायेंगे ।

13. किसी परीक्षा के उत्तरार्द्ध में किसी अन्य महाविद्यालय से पूर्वार्द्ध कक्षा पास हुई छात्रा को तभी प्रवेश दिया जा सकता है जब इस महाविद्यालय से पूर्वार्द्ध पास करने वाले छात्रों को प्रवेश देने के बाद स्थान खाली रह जायें और नियमों के अन्तर्गत हो।

14 यदि कोई छात्रा आवश्यक उपस्थिति पूरी कर ले परन्तु परीक्षा में न बैठ सके या अनुतीर्ण हो जाये तो उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा । वह भूतपूर्व छात्रा के रूप में परीक्षा दे सकती है ।

15 किसी छात्रा की उस विषय में जिसमें प्रयोगात्मक परीक्षा होती है स्नातकोत्तर उपाधि के लिए तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा तब तक कि वह स्नातक कक्षा की परीक्षा उस प्रयोगात्मक विषय को लेकर पास न कर ले ।

16. यदि दो या अधिक छात्राओं के अंक बराबर बैठते हैं तो योग्यता सूची में उनका स्थान पूर्व परीक्षा में उन विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा।

17. यदि किसी छात्रा ने किसी अन्य विश्वविद्यालय से द्विवर्षीय स्नातक या स्नातकोत्तर कक्षा की प्रथम वर्षीय परीक्षा त्रिवर्षीय स्नातक कक्षा को पहले दो वर्षो की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तो उसे द्वितीय या तृतीय वर्ष में प्रवेश दिया जा सकता है जबकि उस विश्वविद्यालय की उपाधि को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने मान्यता दे रखी हो ।

18. किसी भी छात्रा को बिना कारण बताये ही किसी कक्षा में प्रवेश के लिए प्राचार्या द्वारा मना किया जा सकता है ।

19. सभी कक्षाओं में आरम्भिक प्रवेश अस्थायी माने जायेंगे । प्रमाण-पत्रों, अंक तालिकाओं या अन्य संलग्न प्रपत्रों में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आपत्ति किये जाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्रा का होगा ।

20. कला तथा वाणिज्य दोनों संकायों के लिए शिक्षण समय-सारणी कॉलिज आवश्यकताओं और अन्य अनेक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है । छात्राओं की सुविधा के अनुसार समय-सारणी में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

21. ऐसी छात्राओं की संख्या जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को छोड़कर अन्य परिषदों से कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण की है , उनकी संख्या निर्धारित संख्या के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

22. प्रवेश देते समय विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित नियमों का पूर्णतया पालन किया जायेगा ।

विशेष : अनुसूचित जाति के छात्र /छात्राओं को जो कि छात्रवृत्ति के पात्र है उन्हें छात्रवृत्ति फार्म पूर्ण करके प्रवेश के समय ही जमा कराना आवश्यक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रवेश संबंधी दिशा - निर्देश
(National Education Policy 2020: Guidelines For Admission)

1. यह व्यवस्था तीन विषय वाले बी.ए. एवं बी.कॉम. में सत्र 2021-2022 से प्रवेशित छात्राओं पर लागू होगी।

2. छात्राओं को स्नातक में प्रवेश के समय सर्वप्रथम महाविद्यालय में एक संकाय (कला वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा। यह संकाय छात्राओं का अपना संकाय कहलाएगा। जिसमें वे तीन वर्ष तक अध्ययन कर सकेगी।

3. पूर्व व्यवस्था की भांति ही छात्राओं को कुल तीन मुख्य विषयों का अध्ययन करना होगा तथा एक अन्य माइनर विषय का चयन वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से कर सकती हैं। जिसका आवंटन मेरिट संबंधित महाविद्यालय में उपलब्ध सीट संख्या एवं संसाधनों पर निर्भर होगा।

4. छात्राओं को महाविद्यालय में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी परंतु वे एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकती हैं। एक सेमेस्टर के बाद नहीं।

5. तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त छात्राओं को एक गौण (माइनर इलेक्टिव) विषय का अध्ययन करना होगा। इस विषय का चुनाव भी वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें किसी पूर्व पात्रता की आवश्यकता नहीं होगी। स्नातक की छात्राओं को प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में मात्र दो गौण (माइनर) विषयों का अध्ययन करना होगा।

35. अमान्य बोर्ड व विश्वविद्यालय की जानकारी यू0जी0सी0/आई0जी0एन0ओ0यू0 तथा एन0आई0ओ0एस0 की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

प्रवेश सम्बन्धी अन्य नियम

1. प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को सर्वप्रथम विश्वविद्यालय निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा । उसके बाद ही महाविद्यालय में पंजीकरण होगा ।
2. महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले हर छात्र को महाविद्यालय विवरणिका की एक प्रति खरीदना आवश्यक है ।
3. (अ) प्रवेश फार्म के साथ पिछली परीक्षा की मार्कशीट की प्रतिलिपि , योग्यता सूची में अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने लिए प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियाँ तथा अनुसूचित जाति /जनजाति , पिछड़े वर्ग एवं विकलांग छात्रों को आवश्यक प्रमाण -पत्र की प्रतिलिपि लगानी होगी ।
(आ) प्रवजन प्रमाण-पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) की प्रतिलिपि केवल उन छात्राओं के लिए है जो किसी अन्य विश्वविद्यालय से आये हैं । मूल प्रमाण-पत्र बाद में विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म के साथ लगाना होगा ।
(इ) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग छात्रों के लिए वांछित प्रमाण - पत्र लगाना आवश्यक है ।
(ई) व्यक्तिगत छात्राओं को प्रवेश के समय अन्तिम संस्था , जिसमें उन्होंने संस्थागत छात्रा के रूप में अंतिम परीक्षा पास की है ,के प्रधानाचार्य से लिया गया चरित्र प्रमाण पत्र और टी . सी . जमा कराने होंगे ।
4. सभी प्रवेश शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नीति व नियमों के अनुसार किये जायेंगे ।
5. प्रवेश योग्यता सूची के अनुसार- बी.ए. , बी.कॉम. प्रथम वर्ष तथा एम.ए. , एम. कॉम. प्रथम वर्ष का प्रवेश समिति के द्वारा होगा । समिति द्वारा छात्राओं की योग्यता सूची सूचनापट्ट पर लगायी जायेगी। योग्यता सूची में स्थान पाने वाली छात्राएं आदेश प्राप्त कर निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रवेश के लिए आवश्यक शुल्क जमा कर प्रवेश करा लें । निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क जमा न कराये जाने की स्थिति में प्रवेश आदेश रद्द मान लिया जायेगा और उनके स्थान पर सूची में सम्मिलित अगले क्रम वाली छात्राओं को प्रवेश दे दिया जायेगा ।
6. बी.ए. , बी.कॉम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा एम.ए. द्वितीय वर्ष की छात्राएं परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के अन्दर प्रवेश फार्म के साथ निश्चित शुल्क का ड्राफ्ट तैयार कराकर प्रवेश समिति द्वारा अनुमति प्राप्त कर कार्यालय में जमा करा कर , अस्थायी प्रवेश ले सकती हैं । प्रवेश फार्म पर प्रवेश समिति के संयोजिका या सदस्या के हस्ताक्षर आवश्यक हैं ।
7. प्रवेश का समय प्रवेश पत्रों का निरीक्षण तथा आदेश का समय प्रात: 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा शुल्क जमा करने का समय प्रात: 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगा ।
8. गैर कॉमर्स छात्रों को बी. कॉम . में प्रवेश की रिक्त स्थान उपलब्धता के अनुसार ही दिया जायेगा ।
9. प्रवेश की अन्तिम तिथि (विलम्ब दण्ड सहित वाली) के बाद कोई प्रवेश नहीं किया जायेगा । यदि किसी कक्षा में प्रवेश की अंतिम तिथि तक भी सारे स्थान नहीं भरते हैं तो उसके बाद प्राचार्य की अनुमति से विलम्ब शुल्क के साथ प्रवेश किया जा सकता है ।
10. विषयों के चयन के सम्बन्ध में छात्र प्रवेश समिति के सदस्यों से सलाह भी ले सकते हैं । प्रवेश के पश्चात् सामान्यत: विषयों में परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।
11. यदि किसी कक्षा में प्रवेश लेने के लिए कोई छात्रा जो पूर्व वर्षों में महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की छात्रा रही , पास करने के एक या अधिक वर्ष के बाद प्रवेश लेने आये तो उसे प्राचार्या अथवा चीफ प्रोक्टर की विशेष आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं दिया जायेगा । यदि किसी कारण से अथवा कार्यालय की गलती से कक्षा में ऐसा कोई प्रवेश भी हो जाये तो प्राचार्या को उसे रद्द करने का अधिकार होगा , जिसकी उत्तरदायी छात्रा स्वयं होगी ।
12. प्रवेश योग्यता के आधार पर किया जायेगा । शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रमश: 21 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 27 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। यदि ऐसे अभ्यर्थी प्रवेश की अन्तिम तिथि से निर्धारित समय तक प्रवेश नहीं लेते हैं तो उनके स्थान अनारक्षित घोषित कर दिये जायेंगे । विकलांग छात्राओं को सी.एम.ओ. का प्रमाण-पत्र देना होगा । विकलांग छात्राओं के सभी विवादित मामले एल.एल.आर.एम. मेडिकल कॉलिज , मेरठ के मेडिकल बोर्ड को

बी0ए0 प्रथम/एम0ए0 प्रथम (संस्कृत) में प्रवेश लेने योग्य माना जायेगा।

19. ऐसे अभ्यर्थी, जिसने कोई भी परीक्षा हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज (इलाहाबाद) से उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान के किसी भी पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए प्रवेश लेने के योग्य नहीं माना जाएगा।

20. कोई भी अभ्यर्थी, जिसने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष व्यक्तिगत अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण किया है, संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होगा।

21. कोई भी अभ्यर्थी स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड, यू0पी0 या अन्य किसी दूसरे बोर्ड से प्राप्त किसी डिप्लोमा के आधार पर योग्य नहीं समझा जायेगा। विश्वविद्यालय का कोई भी पूर्ववर्ती निर्णय ऐसे डिप्लोमा के बारे में निरस्त माना जायेगा।

22. कोई भी अभ्यर्थी किसी भी महाविद्यालय/संस्थान की परीक्षा में बैठने के लिए अनुमत नहीं होगा, जब तक वह अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर उस परीक्षा में बैठने योग्य न हो। महाविद्यालय/संस्थान अस्थायी प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का परीक्षा फार्म बिना योग्यता परीक्षा का परिणाम जाने विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं करेगा।

23. कोई भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय परीक्षा में तब तक नहीं बैठ पायेगा, जब तक वह परिनियमों में वर्णित न्यूनतम निर्धारित उपस्थिति पूरी न करता हो।

24. परीक्षा सुधार (पुनः परीक्षा) में बैठने योग्य अभ्यर्थी का उसी उपाधि की अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश स्वीकार्य होगा और वह परीक्षा सुधार परीक्षा के साथ अगले साल की परीक्षा देगा, यदि किसी कारण से अभ्यर्थी पुनः परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है, तो उसका अस्थायी प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और उसे सभी विषयों में पूर्व विद्यार्थी के रूप में पुनः परीक्षा देनी होगी। स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

25. यदि कोई अभ्यर्थी कृपांक की सहायता से परीक्षा उत्तीर्ण करता है या उसकी श्रेणी सुधरती है तो वह नियमानुसार देय लाभ का अधिकारी होगा (किन्तु मेरिट सूची में इसका प्रभाव मान्य नहीं होगा)।

26. आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी यदि उच्चतर योग्यता के कारण सामान्य श्रेणी में प्रवेश के लिए चुन लिया जाता है, तो उस श्रेणी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कम नहीं होगी और नियमों की अज्ञानता उसके उल्लंघन का बहाना नहीं माना जायेगा।

27. विश्वविद्यालय के परिनियम के अध्याय IV के प्रस्तर-4 के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को एक साथ दो पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि परिनियमों एवं अधिनियमों में ऐसा प्रावधान न हो ।

28. प्रवेश के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेशों का पालन किया जायेगा।

29. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के नियम विश्वविद्यालय परिसर तथा महाविद्यालयों / संस्थानों में एक समान पाठ्यक्रमों के लिए समान होंगे।

30. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रवेश समिति का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

31. किसी भी गैर प्रायोगिक विषय में स्नातक अथवा परास्नातक स्तर पर प्रवेश के लिये अर्हता उपाधि से चार वर्ष से अधिक का अन्तराल अनुमत नहीं होगा।

32. यदि अभ्यर्थी उनके द्वारा चयनित महाविद्यालय/संस्थान की योग्यता सूची में नाम आने पर प्रवेश हेतु दिये गये समय के अन्तर्गत पत्रजातों सहित प्रस्तुत होकर प्रवेश सम्पुष्ट कराने में असमर्थ रहते हैं, तो उन्हें रिक्त सीट शेष रहने की स्थिति में ही उस महाविद्यालय/संस्थान अथवा अन्य (जिसका चयन उन्होंने प्रवेश आवेदन भरते समय नहीं किया हो) महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश अन्तिम चरण में दिया जा सकता है। यदि प्रवेश सम्पुष्ट न होने का आधार उनके पत्रजातों का सत्यापित न हो पाना है, तो उनमें त्रुटि संशोधन के पश्चात् उनका नाम पुनः योग्यता सूची में आ सकता है। किसी भी तरह की त्रुटि के संशोधन के लिए एक से अधिक बार आवेदन स्वीकार्य नहीं होगें।

33. समय-समय पर विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा लिये गये निर्णय प्रवेश की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जायेंगे जो मान्य होगें। शुल्क क्षतिपूर्ति के सभी नियम शासनादेशों से ही अच्छादित रहेंगे व समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित नहीं होंगे ।

34. छात्रों का प्रवेश वरीयता क्रम में आरक्षण नियम आदि के अनुसार सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदर्शित व महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा प्रवेशित होगा, यदि दो अभ्यर्थियों का मेरिट इन्डेक्स समान होगा, तो इनके अर्हता कक्षा के अंक (अधिक) के आधार पर वह भी समान हो तो, अर्हता कक्षा से पूर्व (यथा स्नातक प्रवेश हेतु 10वीं बोर्ड) के अंक देखे जायेंगे, यहि वह भी समान हों, तो जन्मतिथि (अधिक आयु) के आधार पर व अन्ततः A, B, C, D प्रारम्भिक नामाक्षर के आधार पर वरीयता क्रम निर्धारित किया जायेगा।

कम हाने की स्थिति में सहायक (Subsidiary)विषय मान्य होंगे।

(v) एम0ए0 के भाषा सम्बन्धी विषयों (अंग्रेजी, संस्कृत) में प्रवेश के लिये स्नातक स्तर पर वही विषय मुख्य विषय के रूप में होना आवश्यक है।

(vii) एम0ए0(अर्थशास्त्र) में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर बी0बी0ए0/बी0सी0ए0/बी0ए0(गणित)/बी0एस0सी0 (गणित)/बी0कॉम0 अथवा 10+2 में गणित उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र होगा, किन्तु इन अभ्यर्थियों की योग्यता सूची 5 प्रतिशत अकों की कटौती के पश्चात् जारी की जायेगी। बी0ए0 (अर्थशास्त्र) के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(viii) एम0ए0 गैर प्रायोगिक विषय (शिक्षा शास्त्र) के प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें स्नातक स्तर पर सम्बन्धित विषय में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, किन्तु अर्हता सूची के अनुसार अर्ह है, यदि प्रवेश हेतु आवेदन करता है, तो योग्यता सूची तैयार करते समय अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से 5 प्रतिशत अंकों की कटौती की जायेगी।

12. (i) बी0कॉम0 प्रथम वर्ष के प्रवशे हेतु योग्यता सूची तैयार करते समय उन अभ्यर्थियों को कोई अधिभार नहीं दिया जाएगा, जिन्होंने 10+2 कॉमर्स से उत्तीर्ण किया हो। बी0कॉम0 में प्रवेश के लिए मेरिट लिस्ट तैयार करते समय प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट की परीक्षा में प्राप्तांकों को आधार माना जायेगा।

(ii) बी0ए0 में प्रवेश लेने वाले ऐसे अभ्यर्थी के, जिसने इण्टरमीडिएट विज्ञान, वाणिज्य और विषय पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण किया है, अर्हता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत में से (योग्यता की गणना के लिए) कोई अंक नहीं घटाया जायेगा।

(iii) इण्टरमीडिएट परीक्षा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में बी0कॉम0, बी0ए0 में प्रवेश के लिए मेरिट में लिखित परीक्षा के दो तिहाई प्राप्तांक तथा प्रयोगात्मक विषयों के एक तिहाई प्राप्तांक जोड़े जायेंगे।

13. (i) विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग तथा गलत आचरण करने वाले किसी दोषी घोषित अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ii) ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हिस्ट्रीशीटर हो या नैतिक पतन के किसी अपराध अथवा किसी अपराधिक मामले में सम्मिलित हो, विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि प्रवेश दे दिया गया है, तो बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।

(iii) किसी भी महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्या/निदेशक को किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश या पुन: प्रवेश महाविद्यालय/संस्थान में अनुशासन बनाये रखने के हित में बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा।

(iv) किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश नियमों के विरूद्ध होने पर अथवा गलत तथ्यों के आधार पर होने की स्थिति में माननीय कुलपति/प्राचार्या द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

(v) अनुशासन मण्डल के अनुसार रैगिंग करने या वातावरण को दूषित करने अथवा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दुर्व्यवहार का दोषी पाये गये, किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा उसका प्रवेश हो जाने पर भी बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।

(vi) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।
"If any incident of ragging comes to the notice of the authority, the concerned student shall be given liberty to explain, and if his explanation is not found satisfactory, the authority would expel him from the institution."

14. इण्टरमीडिएट परीक्षा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में बी0ए0 (गृह विज्ञान) में प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होंगे।

15. ऐसा अभ्यर्थी, जो किसी अन्य महाविद्यालय/संस्थान से सम्बन्धित द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ है, इस विश्वविद्यालय में द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में प्रवेश के लिए स्वीकार्य नहीं होगा।

16. ऐसा अभ्यर्थी, जिसने स्नातक परीक्षा एकल वर्ष में 1998 के बाद उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश के लिए योग्य नहीं माना जाएगा।

17. यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसे स्नातक स्तर पर एकल विषय में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।

18. ऐसे अभ्यर्थी, जिसने उत्तर मध्यमा/शास्त्री परीक्षा, सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय में

लिए, जिन्हानें अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ 240 घण्टों की सेवा तथा 7/10 दिनों का एक शिविर किया हो अथवा मेरिट प्रतिशात में एक अंक का अधिभार उनके लिए, जिन्हानें 240 घण्टों की सेवा की हो या 120 घण्टों की सेवा तथा ऐसा एक शिविर किया हो।

अथवा

स्काउटिंग में तथा रोवर/रेंजर्स गतिविधि में अर्हता कक्षा के दौरान भाग लेने वाले अभ्यर्थियों हेतु अधिभार निम्न प्रकार होगा-

(i) मेरिट प्रतिशत में 4 अंकों का अधिभार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित होने पर।

अथवा

(ii) मेरिट प्रतिशत में 3 अंकों का अधिभार, राज्यपाल द्वारा सम्मानित होने/निपुण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

अथवा

(iii) मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार, तृतीय सोपान/गुरूपद/प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

अथवा

(iv) मेरिट प्रतिशत में 1 अंक का अधिभार, द्वितीय सोपान/ध्रुवपद परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

8. प्रतिशत स्पोर्टस कोटा ऑनलाइन पंजीकृत छात्रों के उचित शारीरिक दक्षता परीक्षण के पश्चात् जी0ओ0 न0 एफ0.14-3/85 (सी0पी0), दिनांक: 24.04.1985 के क्रम में कुलपति जी के आदेश से सीट सीमा के अन्तर्गत प्रदान किया जा सकता है एवं ऐसे अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा देकर 5 प्रतिशात स्पोर्ट्स कोटा के स्थानों पर प्रवेश हेतु, पाठ्यक्रमवार (व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर) अर्ह हो सकते हैं। किसी भी स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा समाप्त करनी आवश्यक होगी। जिन्होंने अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ भारतीय विश्वविद्यालय संघ (A.I.U.) अथवा भारतीय ओलम्पिक संघ (I.O.A.) द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/प्रदेशीय/अन्तर्विश्वविद्यालयीय स्तर पर खेलों में भाग लिया हो अथवा SAI (Sports Authority of India) द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त प्रमाण-पत्र धारक हो।

नोट: (i) किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को मेरिट प्रतिशत में अधिकतम 8 अकों तक का अधिभार ही देय होगा, (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कमर्चारी की पुत्री/पत्नी को मेरिट प्रतिशत में अधिकतम 12 अकों तक अधिभार दिया जा सकता है)

(ii) किसी अधिभार के आधार पर द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्रा, प्रथम श्रेणी छात्रा से और तृतीय श्रेणी प्राप्त छात्रा, द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्रा से उच्चतर प्राथमिकता प्राप्त नहीं कर सकेगा अर्थात् प्राथमिकता पर अधिभार अंकों का कोई प्रभाव नहीं होगा।

9. कोई भी विदेशी अभ्यर्थी किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा किसी पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश का पात्र नहीं होगा,जब तक कि सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान न कर दिया जाये। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में विदेशी विद्यार्थी व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं माने जाएंगे।

10. इस विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किसी अन्य मान्य विश्वविद्यालय से 10+2+3 या 11+1+3 पैटर्न की परीक्षा पूर्ण करने के बाद दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर चुका या 10+2 या 11+1 पैटर्न की परीक्षा पूर्ण करने के उपरान्त तीन वर्षीय/चार वर्षीय स्नातक उपाधि के पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष उत्तीर्ण कर चुका अभ्यर्थी क्रमशः द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष/चतुर्थ वर्ष में प्रवेश ले सकता है, प्रतिबन्ध यह होगा कि वह इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के समान दो वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष और तीन वर्षीय/चार वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष के समतुल्य पाठ्यक्रम पढ़ चुका हो।

11. संगीत और चित्रकला में योग्यताक्रम के आधार पर प्रवेश हेतु निर्धारित विषयों में प्रवेश के लिए निम्न नियम अतिरिक्त होंगे-

(i) महाविद्यालय/संस्थान विषय के लिए निर्धारित सीटों से अधिक अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं देंगे।

(ii) एम0ए0 में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता यथास्थिति बी0ए0 में उपर्युक्त वर्णित नियमों के अनुसार द्वितीय श्रेणी के साथ सम्बन्धित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने अपेक्षित हैं। उपर्युक्त वर्णित न्यूनतम योग्यता सीमाएँ एस0सी0/एस0टी0 के अभ्यर्थियों लिए मान्य नहीं होगी, उनके लिए उत्तीर्ण होना ही पर्याप्त होगा किन्तु प्रवेश योग्यता क्रमानुसार ही होंगें।

(iii) प्रस्तर (ii) पर दिये गये विषयों से अलग एम0ए0 के ऐसे विषय, जिनमें प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम नहीं हैं।

(iv) एम0ए0 (प्रयोगात्मक विषय) में प्रवेश के लिए चुने गये विषय का स्नातक स्तर पर मुख्य विषय के रूप में होना आवश्यक है। सहायक (Subsidiary) विषय मान्य नहीं होगा। एम0ए0 प्रयोगात्मक विषयों में उपर्युक्तानुसार अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या स्वीकृत सीटों से

लेने के लिए अर्ह नहीं हैं। निम्नलिखित अमान्य बोर्ड एवं विश्वविद्यालय के अतिरिक्त यदि किसी ऐसे ही अमान्य बोर्ड एवं विश्वविद्यालय की जानकारी प्रवेश के समय या प्रवेश के पश्चात् संज्ञान में आती है, तो उनका कोई भी विद्यार्थी प्रवेश के लिये अर्ह नहीं होगा।

3. महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश के समय एक सेक्शन में स्नातक स्तर पर सामान्यतः 60 अभ्यर्थियों के ही प्रवेश किए जायेगें। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में निर्गत शासनादेशों के आलोक में महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्या यदि 1(शिक्षक) : 60(विद्यार्थी) अथवा 1(शिक्षक) : 80 (विद्यार्थी) के अनुपात में शिक्षक उपलब्ध है, तो प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व मान्य व अतिरिक्त 20 सीट प्रति सेक्शन के अनुपात में सीट संख्या के सापेक्ष प्रति विषय उपलब्ध अनुमोदित शिक्षकों की सूचना विश्वविद्यालय को देंगे, माननीय कुलपति जी द्वारा स्वीकृत के उपरान्त इन निर्धारित सीटों पर प्रवेश ऑनलाइन सम्पुष्ट किये जा सकते हैं। प्राचार्यों को न तो निर्धारित संख्या से अधिक और न ही निर्धारित तिथि के उपरान्त प्रवेश करने का अधिकार होगा और यदि वे ऐसा करते हैं,तो उनके विरूद्ध शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही की जा सकती है। निर्धारित सीमा से अधिक प्रवेश शासनादेशों के अन्तर्गत कार्यवाही से आच्छादित रहेंगे तथा इसके लिए प्राचार्य ही उत्तरदायी होंगे।

4. ''शासनादेश संख्या-2555/सत्तर-2-2007-2(166)/2003 उच्च शिक्षा अनुभाग- 2 दिनांक 25 जून, के अनुसार शैक्षिक सत्र 2007-08 के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु शैक्षिक सत्र 2006-07 में निर्गत शासनादेश संख्या-1678/ सत्तर-2-2006-2(166)/2003 दिनांक 23 मई, 2006 शासनादेश संख्या-1870/ सत्तर-2-2000-2(166)/2003 उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 07 जून, 2006 तथा शासनादेश संख्या-3371/सत्तर-2-2006-2 (166)/2003 दिनांक 21 अगस्त, 2006तथा शासनादेश संख्या- 421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 यथावत लागू माने जाएंगे।''

5. किसी भी अभ्यर्थी को प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम वाले स्नातक/स्नातकोत्तर विषय में (इन्टीग्रेटिड पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, वह विषय इण्टरमीडिएट/स्नातक स्तर पर नहीं लिया है।
किसी भी अभ्यर्थी को बी0ए0 में तीन साहित्यिक विषय अथवा तीन प्रयोगात्मक विषय अनुमन्य नहीं हागें।

Note :- In case of National Institute of Open Schooling, New Delhi the candidate must have passed Intermediate Examination with five subjects.

6. ऐसा विद्यार्थी, जिसकी उपस्थिति शैक्षिक सत्र के प्रत्येक पाठ्यक्रम में पूरी हो, किन्तु वह परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है या अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो विश्वविद्यालय परीक्षा हेतु उसे संस्थागत विद्यार्थी के तौर पर महाविद्यालय/संस्थान में पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा। उसे सम्बन्धित परीक्षा एक पूर्व-विद्यार्थी (Ex-student) के रूप में ही उत्तीर्ण करनी होगी। ऐसे विद्यार्थी, जिसने विश्वविद्यालय परीक्षा का फार्म नहीं भरा होगा, उसे पूर्व विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

7. अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी तरह के भारांक का दावा करने पर वरीयता सूची को आँकने के लिए प्रवेश के समय निम्नलिखित भारांक (Weightage) दिए जायेंगे:-

(अ) मेरिट प्रतिशत में 4 अंकों का अधिभार, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के (स्नातक/परास्नातक) छात्रों के लिए।

(ब) मेरिट प्रतिशत में 4 अकों का अधिभार, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय/सम्बद्ध कॉलेजों के शिक्षकों/कर्मचारियों के (पुत्री/ पत्नी) के लिए।

(स) मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होनें परास्तानक विषय में प्रवेश हेतु सम्बन्धित विषय में स्नातक ऑनर्स के साथ उपाधि प्राप्त की हो।

(द) (i) मेरिट प्रतिशत में 3 अकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियां के लिए, जिन्होनें NCC का "C" या "G-II" सर्टिफिकेट अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ प्राप्त किया हो।

अथवा

(ii) मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने NCC का "B" या "G-I" सर्टिफिकेट अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ प्राप्त किया हो।

अथवा

(iii) मेरिट प्रतिशत में 3 अकों का अधिभार ,ऐसेअभ्यर्थियो के लिए, जिन्होनें अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ-साथ राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) के अन्तर्गत 240 घण्टों की सेवा की हो तथा 7/10 दिनों के 2 शिविरों में भाग लिया हो अथवा मेरिट प्रतिशत में 2अंकों का अधिभार उनके

(छ) (i) किसी भी सरकारी कर्मचारी एवं सार्वजनिक सेवा वाले कर्मचारियों की पुत्री का प्रवेश, उनके माता-पिता के स्थानान्तरण के कारण सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान में स्थान होने पर माननीय कुलपति या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी की पूर्व अनुमति से स्वीकार्य होगा। यदि अभ्यर्थी पंजीकृत हो तो, ऐसे स्थानान्तरण केवल प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक माह के अन्तर्गत तक ही स्वीकार्य होंगे। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा फार्म भरने के बाद स्थानान्तरण स्वीकार्य नहीं होगा।

(ii) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक महाविद्यालय/संस्थान से दूसरे महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण हेतु पूर्व महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यों/निदेशकों के अनापत्ति पर द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सीट उपलब्ध होने पर दूसरे (जिसे महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण चाहता है) महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्या/निदेशक के द्वारा विवेकानुसार प्रवेश स्थानान्तरण स्वीकृत किया जा सकेगा। यह सुविधा एक ही जनपद में स्थित महाविद्यालयों/संस्थानों के अभ्यर्थियों को अनुमति नहीं होगी।

(iii) किसी भी दशा में विद्यार्थियों का प्रथम वर्ष में स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

(iv) अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण प्रवेश हेतु महाविद्यालय /संस्थान के प्राचार्या से अनापत्ति लेकर महाविद्यालय/संस्थान से सम्बन्धित समस्त विषयों की आख्या सहित विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराकर विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(v) ऐसे अभ्यर्थी, जो प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डी0पी0टी0, डिप्लोमा इन आर0डी0आई0टी0, 60 प्रतिशत अंकों से अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हैं, वे रिक्त सीटों के सापेक्ष कुल सीटों के 10 प्रतिशत स्थानों पर बी0पी0टी0 व बी0आर0डी0आई0टी0 में लेटरल एन्ट्री द्वारा द्वितीय वर्ष के प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(vi) स्ववित्तपोषित महाविद्यालय/संस्थानों/पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का स्थानान्तरण अनुदानित महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों में नहीं किया जायेगा। व्यावसायिक महाविद्यालयों/संस्थानों/ पाठ्यक्रमों में स्थानान्तरण विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति, महाविद्यालयों सस्थानों की अनापत्ति व पृथक जनपद होने पर ही द्वितीय वर्ष या अधिक होने पर ही अनुमन्य होगा।

(ज) जिन अभ्यर्थियों ने इण्टरमीडिएट की परीक्षा यू0पी0 बोर्ड, अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो। (जैसेः सी0बी0एस0ई0 ,आई0सी0एस0ई0 आदि), उनके स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिये मेरिट में इण्टरमीडिएट के सभी विषयों के प्राप्तांक जोड़े जायेंगे। स्नातक कक्षाओं में प्रवेश, बिना प्रवेश परीक्षा की स्थिति में, कुल सीटों की अधिकतम 50 प्रतिशत तक सीटें उन अभ्यर्थियों के द्वारा भरी जा सकती हैं।जिन्हांने इण्टरमीडिएट की परीक्षा यू0पी0 बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो।(जैसेः सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0 आदि), किन्तु उनके सभी विषयों के योग्यता प्राप्तांक उ0प्र0 बोर्ड के सम्बंधित श्रेणियों के अभ्यर्थियों से कम नहीं होने चाहिए।

(झ) स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा में चार वर्ष के अन्तराल से ज्यादा अन्तराल होने पर प्रयोगात्मक विषयों की डिग्री को छोड़कर प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।

(ञ) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने एम0ए0 की उपाधि प्राप्त कर ली है अथवा संस्थागत छात्रा के रूप में एम0ए0 में दो वर्ष का अध्ययन कर लिया है, उन्हें अन्य विषय में प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर एम0ए0 प्रथम में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी अन्य विषय में एम0ए0 करना चाहता है, तो वह प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर व्यक्तिगत परीक्षार्थी के साथ परीक्षा दे सकता है।

(ट) ऐसे विद्यार्थी प्रथम वर्ष की उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के अधिकारी नहीं होगें , जिन्होनें हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा, मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण नहीं की होगी।

(ठ) योग्य/पात्र अभ्यर्थियों को हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा (सम्बन्धित विषय सहित) मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होनी चाहिए। तीन वर्ष से अधिक की स्नातक उपाधि अर्हता में उल्लिखित हो, तभी अनुमन्य होगी। विद्यार्थी प्रथम वर्ष में ऐसी स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए योग्य/पात्र नहीं होंगे, जिन्होंने 10+2+3 पद्धति (पैटर्न) के अन्तर्गत स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की होगी।

विषय नोट :

मान्यता प्राप्त बोर्ड/(एन0आई0ओ0एस0 व ए0आई0यू0 पर उपलब्ध)/(यू0जी0सी0 व ए0आई0यू0 की वेबसाइट से उद्धृत)विश्वविद्यालय की सूची नियमावली के अन्त में दी गयी है।

2. ऐसे विद्यार्थी, जिन्होंने कोई भी परीक्षा अमान्य बोर्डो/विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की है, इस विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश

(ii) प्रवेश हेतु दो योग्यताक्रम (मेरिट) सूचियां प्रकाशित की जायेंगी, जिसके माध्यम से प्रवेश सीमित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान की चयन सूची में वरीयतानुसार नाम आने पर लिए जा सकते हैं। प्रत्येक योग्यता सूची के प्रवेश ऑफर लेटर अपने लॉग-इन से डाउनलोड कर सम्बन्धित महाविद्यालय में गोपनीय संख्या देने पर प्रवेश सम्पुष्ट किये जा सकते हैं। ऑफर लेटर मात्र अभ्यर्थी अपने लॉग-इन से प्राप्त कर सकता है एवं प्रवेश सम्पुष्टिकरण मात्र सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान द्वारा उनके लॉग-इन से किया जा सकता है। किसी भी योग्यता सूची की समय सीमा समाप्त होने पर नाम होने पर भी प्रवेश सम्पुष्ट नहीं हो सकते। प्रथम वरीयता के महाविद्यालय/संस्थान में नाम आने पर व प्रवेश सम्पुष्ट होने के पश्चात् पुनः नाम किसी भी मेरिट लिस्ट (ओपन सहित) में प्रदर्शित नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम दो वरीयता सूची में नाम आने के उपरान्त भी प्रवेश नहीं ले पाते हैं, तो वे प्रथम ओपन मेरिट में महाविद्यालय/संस्थान की वरीयतानुसार दी गयी सूची में पुनः प्रवेश लेने के लिए प्रयास कर सकते हैं।

(iii) प्रथम ओपन मेरिट के उपरान्त ओपन पंजीकरण अर्थात् महाविद्यालय/संस्थान व पाठ्यक्रम के विकल्प के बिना पूर्ण किये गये आवेदन पत्र के आधार पर ऑफर लेटर में इंगित गोपनीय संख्या के माध्यम से रिक्त सीटों के सापेक्ष आरक्षण नियमानुसार वांछित महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना उचित होगा कि ओपन पंजीकरण आवेदन पत्र खुलने के पश्चात् पूर्व से ही पंजीकृत अप्रवेशित अभ्यर्थियों के भी चयनित महाविद्यालय/सस्थान व पाठ्यक्रम आवेदन पत्र से समाप्त हो जायेंगे व उन्हें नवीन अभ्यर्थी की भांति ही पुनः आफ़र लेटर डाउनलोड करना होगा तथा वांछित महाविद्यालय/सस्थान में समस्त प्रपत्रों के साथ उपस्थित होना होगा। महाविद्यालय/सस्थान द्वारा ऑनलाइन प्रवेश सम्पुष्ट होने पर अभ्यर्थी के लॉग-इन में सूचना प्राप्त होने पर ही प्रवेश मान्य होगा।

(ड) विषय संयोजन आवंटित करने का अधिकार सभी नियमों का संज्ञान लेते हुए, महाविद्यालय के प्राचार्या/उनके द्वारा नामित प्रवेश समिति को ही होगा। विषय संयोजन आवंटित करने में महाविद्यालयों /सस्थानों को सीट उपलब्धता, सेक्शन की सीमितता, शिक्षक की उपलब्धता, अभ्यर्थी की अर्हता का सज्ञांन लेकर ही ऑनलाइन सम्पुष्ट करने होगें । किसी भी प्रकार की त्रुटियों के सम्बन्ध में 2 कार्य दिवस के अन्तर्गत प्राचार्या लॉग-इन से संशोधन हो सकता है, किन्तु 2 कार्य दिवस के पश्चात् सूचित करने पर किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया जायेगा। विषय संयोजन की सम्पुष्टि के पश्चात् संकाय परिवर्तन भी मान्य नहीं होगा। ओपन मेरिट द्वारा बाद में प्रवेश लेने वाले, किन्तु योग्यताक्रम में श्रेष्ठ अर्ह अभ्यर्थी को उसके चयनित विषय, अनुपलब्धता की स्थिति में न मिलने पर महाविद्यालय/संस्थान दोषी नहीं होगा। महाविद्यालय अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे कि विषय संयोजन सीमित हो, जिससे रिक्त स्थान न शेष रहें।

आरक्षित स्थान हेतु, पंजीकृत अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण स्थान रिक्त रह जाने पर, प्रवेश के लिए अनारक्षित श्रेणी के अर्ह अभ्यर्थियों से द्वितीय ओपन मेरिट (जो पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया के पश्चात् व पंजीकृत समस्त अप्रवेशित अर्ह अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है) में भरे जा सकते हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए महाविद्यालयों/सस्थानों द्वारा छात्रावास में आवास प्रवेश की अन्तिम तिथि तक आरक्षित रखे जायेंगे।

नोटः- यदि प्रमाण पत्र उचित अधिकारी द्वारा प्रदत्त नहीं होगें, तो उस छात्रा का अभ्यर्थन सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की भाँति माना जायेगा। पंजीकरण के समय उचित आरक्षण का दावा न करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय या प्रवेश के पश्चात् वांछित किसी प्रकार का आरक्षण प्रदान नहीं किया जायेगा। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी, जिसने प्रवेश आवश्यक योग्यता परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य से बाहर के किसी अन्य प्रदेश के बोर्ड/संस्थान से उत्तीर्ण की है, किन्तु उत्तर प्रदेश के निवासी के रूप में प्रवेश का दावा प्रस्तुत करता है, तो उसे सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रदत्त उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण-पत्र एवं आरक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा वह अन्य प्रदेश की श्रेणी में माना जाएगा।

(च) अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के प्रवेश स्नातक एवं स्नाकोत्तर पाठ्यक्रमों में निर्धारित सीटों का अधिकतम 25 प्रतिशत सीमा तक ही होंगे (व्यावसायिक पाठ्यक्रम में यह सीमा लागू नहीं होगी। परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि अर्हता परीक्षा में उनकी योग्यता उत्तर प्रदेश के सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से कम न हो। यदि कोई अभ्यर्थी, जोकि दूसरे राज्य का निवासी है, उत्तर प्रदेश के किसी महाविद्यालय/संस्थान से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करें, तब भी दूसरे राज्य की श्रेणी में ही रखा जायेगा।

1. विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन करते हुए महाविद्यालय में प्रवेश कार्य किया जायेगा।

(क) प्रथमतः महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा योग्यता क्रम सूची के आधार पर बिना प्रवेश परीक्षा के किये गये सभी प्रवेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ccsuweb.in पर ऑनलाइन सम्पुष्ट होने आवश्यक होंगे । महाविद्यालय अपने स्तर पर समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों के पत्रजात, उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित कराएंगे। सत्यापित प्रवेश ही मान्य होंगे। अभ्यर्थी द्वारा भरा गया विवरण सत्यापित न होने की दशा में किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

(ख) प्रवेश, अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई ऑनलाइन योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच पड़ताल कर महाविद्यालयों /संस्थानों द्वारा किये जायेंगे। प्रवेशार्थ मान्य कुल स्थानों में से 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान महाविद्यालयों / सस्थानों में और इसी प्रकार छात्रावासों में क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार आरक्षित होंगे। शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत या अधिक विकलांग (दृष्टिविहीन/कम दृष्टि, श्रवण ह्रास/पालन निशक्तता, अंग-भंग आदि) हेतु कुल 4 प्रतिशत, स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित 2 प्रतिशत और भूतपूर्व सैनिकों या उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में क्षैतिज आरक्षण उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदान किया जायेगा। यदि अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी प्रवेश के लिये उपलब्ध नहीं हैं, तो उनके स्थान पर अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। छात्राओं को क्षैतिज आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। 10 प्रतिशत आरक्षण ई0डब्ल्यू0एस0 के लिए लागू होगा।

(ग) अल्पसंख्यक श्रेणी के महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों का समयबद्ध सफल पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रदत्त लाभ वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों को मिल सके। 50 प्रतिशत तक अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थी ऑनलाइन योग्यताक्रमानुसार चयनित कर प्राथमिकता के आधार पर प्रविष्ट किये जा सकते हैं, किन्तु शेष 50 प्रतिशत तक योग्यताक्रमानुसार व आरक्षण नियमानुसार पंजीकृत अन्य अभ्यर्थियों को समयबद्ध प्रवेश दिया जा सकता है। प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूर्ण की जायेगी। यदि चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अल्पसंख्यक वर्ग के महाविद्यालय/संस्थान चाहें, तो पूर्व सूचना देकर समस्त सम्बद्ध अल्पसंख्यक महाविद्यालयों/संस्थानों के लिए एक पोर्टल पर उक्त प्रवेश कर उसका लिकं (link) प्रवेश पोर्टल www.ccsuweb.in के साथ जोड़ सकते हैं। समस्त प्रविष्ट अभ्यर्थियों की सम्पुष्टि रिपोर्ट संदर्भ हेतु महाविद्यालयों/संस्थानों को संरक्षित करनी होगी।

(घ) (i) प्रवेश परीक्षा विहीन प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को www.ccsuweb.in पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ कर लॉग-इन आईडी (पंजीकरण संख्या)प्राप्त करनी होगी। जो अभ्यर्थी के व्यक्तिगत विवरण पर आधारित होती है इस हेतु हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट की अंकतालिका के विवरण, फोटो, निवास का पता, स्वयं का मोबाईल नम्बर, स्वयं का ई-मेल, होना आवश्यक है। तत्पश्चात् आवेदन पत्र में मांगे गये भारांक, शैक्षिक विवरण तथा वांछित पाठ्यक्रम व महाविद्यालय/संस्थान की वरीयता देना आवश्यक होगा। अन्त में आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त सम्पूर्ण आवेदन पत्र का भली-भाँति अवलोकन कर ऑनलाइन सम्मिट करना आवश्यक होगा। पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड अभ्यर्थी के दिये गये मोबाईल नं0 पर प्रेषित की जाती है। अपनी पंजीकरण संख्या व पासवर्ड को सुरक्षित रखना अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित करें। आवेदन पत्र को प्रिन्ट करके अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित करें कि कोई त्रुटि शेष तो नहीं है, अन्यथा समयानुसार संशोधन नहीं करने पर अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा, इसमें विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। किसी अन्य के द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र भरवाने के कारण हुई त्रुटियों को समयानुसार पोर्टल पर संशोधन का विकल्प विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने देने पर अभ्यर्थी द्वारा शुद्ध कर लेना आवश्यक होगा। प्रवेश के समय संशोधन करना सम्भव नहीं होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन हेतु प्रकोष्ठ सूची

1. उद्योग-अकादमिक एकीकरण एवं कौशल प्रकोष्ठ

1. डॉ0 शालिका अग्रवाल — संयोजिका
2. डॉ0 सर्वेश कुमारी — सदस्या

2. शिक्षण-प्रशिक्षण प्रकोष्ठ

1. डॉ0 अरुणा शर्मा — संयोजिका
2. डॉ0 अपर्णा त्रिपाठी — सदस्या
3. डॉ0 सर्वेश कुमारी — सदस्या
4. डॉ0 प्रियंका सोनकर — सदस्या

3. संस्थागत विकास योजना प्रकोष्ठ

1. श्री अनिल कुमार — (संयुक्त सचिव प्रबन्ध समिति)
2. डॉ0 आभा शुक्ला कौशिक — सदस्या
3. डॉ0 संगीता अग्रवाल — सदस्या
4. श्री कैलाश चन्द्र गौड़ — सदस्य

4. भारतीय भाषा, कला, संस्कृति एवं कला प्रकोष्ठ

1. डॉ0 जया शर्मा — संयोजिका
2. डॉ0 करुणा गुप्ता — सदस्या
3. डॉ0 अलका सिंह — सदस्या
4. श्रीमती विनीता पारस — सदस्या
5. डॉ0 धनेश्वरी कबीरा — सदस्या
6. डॉ0 रश्मि कुमारी — सदस्या

5. दिव्यांग सहायता एवं वंछित समूह प्रकोष्ठ

1. डॉ0 स्मृति दानी — संयोजिका
2. डॉ0 नीशू यादव — सदस्या
3. श्रीमती साधना मिश्रा — सदस्या

6. ऑनलाईन शिक्षा एवं एल0एम0एस0 प्रकोष्ठ

1. डॉ0 आभा शुक्ला कौशिक — संयोजिका
2. डॉ0 मनीला रोहतगी — सदस्या
3. श्रीमती नीशू यादव — सदस्या
4. श्रीमती प्रियंका सोनकर — सदस्या

7. अनुसन्धान एवं विकास प्रकोष्ठ

1. डॉ0 अरुणा शर्मा — संयोजिका
2. डॉ0 संगीता अग्रवाल — सदस्या
3. डॉ0 आभा शुक्ला कौशिक — सदस्या
4. डा0 मनीला रोहतगी — सदस्या

8. एक्टिविटी क्लब प्रकोष्ठ

1. डॉ0 जया शर्मा — संयोजिका
2. डॉ0 अपर्णा त्रिपाठी — सदस्या
3. डॉ0 सरोजिनी — सदस्या
4. डॉ0 रुचि त्यागी — सदस्या

9. अन्तरराष्ट्रीय छात्रा सहायता प्रकोष्ठ

1. डॉ0 शालिका अग्रवाल — संयोजिका
2. डॉ0 सर्वेश कुमारी — सदस्या
3. श्रीमती प्रियंका सोनकर — सदस्या

10. मेंटरिंग एवं वैज्ञानिक परामर्श प्रकोष्ठ

1. डॉ0 अपर्णा त्रिपाठी — संयोजिका
2. डॉ0 सरोजिनी — सदस्या
3. डॉ0 सर्वेश कुमारी — सदस्या

4. डॉ0 रुचि त्यागी — सदस्या
5. डॉ0 नीशू यादव — सदस्या

35. जल विद्युत समिति

1. डॉ0 सरोजिनी — संयोजिका
2. डॉ0 अलका सिंह — सदस्या
3. डॉ0 नीशू यादव — सदस्या

36. स्मार्ट फोन/ टेबलेट वितरण समिति

1. डॉ0 आभा शुक्ला कौशिक — संयोजिका
2. डॉ0 मनीला रोहतगी — सदस्या
3. डॉ0 सर्वेश कुमारी — सदस्या
4. डॉ0 मीनू कश्यप — सदस्या
5. डॉ0 रश्मि कुमारी — सदस्या
6. श्री हर्षित सिंह — तकनीकी सहायक

37. नेट, जे0आर0एफ0 अनुशिक्षण समिति

1. डॉ0 अरुणा शर्मा — संयोजिका
2. डॉ0 संगीता अग्रवाल — सदस्या
3. डॉ0 अपर्णा त्रिपाठी — सदस्या
4. डॉ0 मीनू कश्यप — सदस्या
5. श्रीमती विनीता पारस — सदस्या
6. श्रीमती प्रियंका सोनकर — सदस्या

38. मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना समिति

1. डॉ0 सर्वेश कुमारी — संयोजिका
2. डॉ0 नीशू यादव — सदस्या
3. डॉ0 प्रियंका — सदस्या
3. श्री हर्षित सिंह — सदस्य

23. पुस्तकालय समिति

1. डॉ0 अरुणा शर्मा	संयोजिका
2. डॉ0 संगीता अग्रवाल	सदस्या
3. डॉ0 सीमा सिंह	सदस्या
4. डॉ0 सरोजिनी	सदस्या
5. श्रीमती प्रियंका सोनकर	सदस्या
6. डॉ0 रश्मि कुमारी	सदस्या
7. कु0 गुन्जन रानी	सदस्या

24. छात्रवृत्ति समिति

1. डॉ0 अलका सिंह	संयोजिका
2. डॉ0 वसुधा श्री	सदस्या
3. श्रीमती नीशू यादव	सदस्या
4. श्रीमती प्रियंका सोनकर	सदस्या
5. श्री ओंकार सिंह	सदस्य
6. कु0 गुन्जन रानी	सदस्या
7. श्री हर्षित सिंह	तकनीकी सहायक

25. केन्द्रीय क्रय-विक्रय समिति

1. डॉ0 अरुणा शर्मा	संयोजिका
2. डॉ0 संगीता अग्रवाल	सदस्या
3. डॉ0 वसुधा श्री	सदस्या
4. श्री कैलाश चन्द्र गौड़	सदस्य
5. श्री ओंकार सिंह	सदस्य

26. रूसा, आरिया एवं आयशा समिति

1. डॉ0 आभा शुक्ला कौशिक	संयोजिका
2. डॉ0 अमिता शर्मा	सदस्या
3. डॉ0 अपर्णा त्रिपाठी	सदस्या
4. डॉ0 सर्वेश कुमारी	सदस्या
5. श्रीमती प्रियंका सोनकर	सदस्या
6. श्री के.सी. गौड़	सदस्य
7. श्री हर्षित सिंह	सदस्य

27. आर0टी0 आई0 समिति

1. डॉ0 सीमा सिंह	संयोजिका
2. श्रीमती विनीता पारस	सदस्या
3. श्री कैलाश चन्द गौड़	सदस्य

28. अबेकस समिति

1. डॉ0 अमिता शर्मा	संयोजिका
2. डॉ0 मनीला रोहतगी	सदस्या
3. डॉ0 अपर्णा त्रिपाठी	सदस्या
4. डॉ0 रुचि त्यागी	सदस्या
5. डॉ0 मीनू कश्यप	सदस्या
6. डॉ0 सर्वेश कुमारी	सदस्या
7. श्रीमती प्रियंका सोनकर	सदस्या
8. श्री हर्षित सिंह	तकनीकी सहायक

29. चल-अचल सम्पत्ति, रख-रखाव समिति

1. डॉ0 विभा भारद्वाज	संयोजिका
2. डॉ0 पूनम भारद्वाज	सदस्या
3. डॉ0 वसुधा श्री	सदस्या
4. डॉ0 अलका सिंह	सदस्या
5. श्री कैलाश चन्द्र गौड़	सदस्य

30. स्किल डेवलपमेंट समिति

1. डॉ0 शालिका अग्रवाल	संयोजिका
2. डॉ0 सर्वेश कुमारी	सदस्या

31. माइनर कोर्स समिति

1. डॉ0 सरोजिनी	संयोजिका
2. डॉ0 नीशू यादव	सदस्या

32. को - करिकुलर कोर्स समिति

1. डॉ0 विभा भारद्वाज	संयोजिका
2. डॉ0 पूनम भारद्वाज	सदस्या
3. श्रीमती साधना मिश्रा	सदस्या

33. विकास, मरम्मत एवं फर्नीचर समिति

1. डॉ0 अरुणा शर्मा	संयोजिका
2. डॉ0 संगीता अग्रवाल	सदस्या
3. डॉ0 वसुधा श्री	सदस्या
4. श्रीमती प्रियंका सोनकर	सदस्या
5. श्रीमती साधना मिश्रा	सदस्या
6. श्री कैलाश चन्द्र गौड़	सदस्य

34. नई शिक्षा नीति- 2020 समिति

1. डॉ0 अरुणा शर्मा	संयोजिका
2. डॉ0 संगीता अग्रवाल	सदस्या
3. डॉ0 सरोजिनी	सदस्या

10. एक्टिविटी क्लब समिति

1. डॉ0 जया शर्मा — संयोजिका
2. डॉ0 अपर्णा त्रिपाठी — सदस्या
3. डॉ0 सरोजिनी — सदस्या
4. डॉ0 सर्वेश कुमारी — सदस्या
5. डॉ0 रश्मि कुमारी — सदस्या

11. मीडिया समिति

1. डॉ0 करुणा गुप्ता — संयोजिका
2. श्रीमती साधना मिश्रा — सदस्या
3. श्रीमती प्रियंका सोनकर — सदस्या

12. पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छता समिति

1. डॉ0 वसुधा श्री — संयोजिका
2. डॉ0 मनीला रोहतगी — सदस्या
3. डॉ0 धनेश्वरी कबीरा — सदस्या
4. श्रीमती साधना मिश्रा — सदस्या

13. परीक्षा समिति

1. डॉ0 अरुणा शर्मा — संयोजिका
2. डॉ0 अमिता शर्मा — सदस्या
3. डॉ0 रुचि त्यागी — सदस्या
4. डॉ0 सर्वेश कुमारी — सदस्या

14. सूचना प्रोद्योगिकी एवं वेबसाइट समिति

1. डॉ0 आभा शुक्ला कौशिक — संयोजिका
2. डॉ0 मनीला रोहतगी — सदस्या
3. श्रीमती प्रियंका सोनकर — सदस्या
4. श्री हर्षित सिंह — तकनीकी सहायक

15. यू0जी0सी0 समिति

1. डॉ0 विभा भारद्वाज — संयोजिका
2. डॉ0 पूनम भारद्वाज — सदस्या
3. डॉ0 वसुधा श्री — सदस्या
4. श्रीमती साधना मिश्रा — सदस्या

16. पत्रिका समिति

1. डॉ0 आभा शुक्ला कौशिक — संयोजिका
2. डॉ0 वसुधा श्री — सदस्या
3. डॉ0 करुणा गुप्ता — सदस्या
4. डॉ0 सरोजिनी — सदस्या
5. श्रीमती प्रियंका सोनकर — सदस्या

17. विवरणिका समिति

1. डॉ0 अरुणा शर्मा — संयोजिका
2. डॉ0 संगीता अग्रवाल — सदस्या
3. डॉ0 आभा शुक्ला कौशिक — सदस्या
4. डॉ0 करुणा गुप्ता — सदस्या
5. श्री कैलाश चन्द्र गौड़ — सदस्या — सदस्य

18. समय-सारिणी समिति

1. डॉ0 आभा शुक्ला कौशिक — संयोजिका
2. डॉ0 करुणा गुप्ता — सदस्या
2. डॉ0 अपर्णा त्रिपाठी — सदस्या

19. चिकित्सा समिति

1. डॉ0 शालिका अग्रवाल — संयोजिका
2. डॉ0 अपर्णा त्रिपाठी — सदस्या
3. श्रीमती साधना मिश्रा — सदस्या

20. पुरातन छात्रा समिति

1. डॉ0 अरुणा शर्मा — संयोजिका
2. डॉ0 संगीता अग्रवाल — सदस्या
3. डॉ0 आभा शुक्ला कौशिक — सदस्या
4. डॉ0 अपर्णा त्रिपाठी — सदस्या

21. राष्ट्रीय सेवा योजना समिति

1. डॉ0 मीनू कश्यप — संयोजिका
2. डॉ0 सर्वेश कुमारी — सदस्या

22. रेंजर्स समिति

1. डॉ0 पूनम भारद्वाज — संयोजिका
2. डॉ0 धनेश्वरी कबीरा — सदस्या

शैक्षिक सत्र् 2023-24 की गठित समितियां

1. प्रोक्टोरियल बोर्ड एवं एंटी रैगिंग समिति

1. डॉ0 सरोजिनी	चीफ प्रोक्टर
2. डॉ0 सर्वेश कुमारी	सदस्या
3. श्रीमती विनीता पारस	सदस्या
4. श्रीमती प्रियंका सोनकर	सदस्या
5. डॉ0 रश्मि कुमारी	सदस्या

2. छात्रा उन्नयन एवं कल्याण समिति

1. डॉ0 करुणा गुप्ता	संयोजिका
2. डॉ0 मनीला रोहतगी	सदस्या
3. श्रीमती प्रियंका सोनकर	सदस्या
4. डॉ0 रश्मि कुमारी	सदस्या

3. क्रीड़ा-समिति

1. डॉ0 सरोजिनी	संयोजिका
2. डॉ0 अपर्णा त्रिपाठी	सदस्या
3. डॉ0 रुचि त्यागी	सदस्या
4. डॉ0 अलका सिंह	सदस्या
5. डॉ0 मीनू कश्यप	सदस्या
6. श्रीमती प्रियंका सोनकर	सदस्या

4. आई0 क्यू0 ए0 सी0 समिति

1. डॉ0 अरुणा शर्मा	संयोजिका
2. डॉ0 अमिता शर्मा	सदस्या
3. डॉ0 अपर्णा त्रिपाठी	सदस्या
4. डॉ0 सरोजिनी	सदस्या
5. डॉ0 नीशू यादव	सदस्या
6. डॉ0 सर्वेश कुमारी	सदस्या
7. श्रीमती प्रियंका सोनकर	सदस्या

5. नैक समिति

1. डॉ0 आभा शुक्ला कौशिक	संयोजिका
2. डॉ0 संगीता अग्रवाल	सदस्या
3. डॉ0 अमिता शर्मा	सदस्या
4. डॉ0 मनीला रोहतगी	सदस्या
5. डॉ0 सरोजिनी	सदस्या
6. डॉ0 रुचि त्यागी	सदस्या
7. डॉ0 सर्वेश कुमारी	सदस्या
8. श्रीमती प्रियंका सोनकर	सदस्या
9. श्री कैलाश चन्द्र गौड़	सदस्य

6. करियर कांउसलिंग समिति

1. डॉ0 सरोजिनी	संयोजिका
2. डॉ0 मनीला रोहतगी	सदस्या
3. डॉ0 अपर्णा त्रिपाठी	सदस्या
4. डॉ0 सर्वेश कुमारी	सदस्या

7. अनुसंधान एवं विकास समिति

1. डॉ0 अरुणा शर्मा	संयोजिका
2. डॉ0 संगीता अग्रवाल	सदस्या
3. डॉ0 आभा शुक्ला कौशिक	सदस्या
4. डॉ0 वसुधा श्री	सदस्या
5. डॉ0 मनीला रोहतगी	सदस्या

8. अतिथि, व्याख्यान, सेमिनार, वर्कशॉप एवं सम्मेलन समिति

1. डॉ0 अरुणा शर्मा	संयोजिका
2. डॉ0 संगीता अग्रवाल	सदस्या
3. डॉ0 आभा शुक्ला कौशिक	सदस्या
4. डॉ0 मनीला रोहतगी	सदस्या
5. डॉ0 नीशू यादव	सदस्या

9. साहित्यिक एवं सांस्कृतिक समिति

1. डॉ0 जया शर्मा	संयोजिका
2. डॉ0 वसुधा श्री	सदस्या
3. डॉ0 करुणा गुप्ता	सदस्या
4. डॉ0 मनीला रोहतगी	सदस्या
5. डॉ0 सर्वेश कुमारी	सदस्या
6. डॉ0 रश्मि कुमारी	सदस्या

प्रवेश–समितियां 2023–24

कला एवं वाणिज्य संकाय (स्नातक)			
प्रथम वर्ष	1.	डॉ0 मनीला रोहतगी,	संयोजिका
	2.	डॉ0 अमिता शर्मा	सदस्या
	3.	डॉ0 सरोजिनी	सदस्या
	4.	डॉ0 नीशू यादव	सदस्या
	5.	डॉ0 सर्वेश कुमारी	सदस्या
द्वितीय वर्ष	1.	डॉ0 जया शर्मा	संयोजिका
	2.	डॉ0 रुचि त्यागी	सदस्या
तृतीय वर्ष	1.	डॉ0 विभा भारद्वाज	संयोजिका
	2.	डॉ0 पूनम भारद्वाज	सदस्या
एम0 ए0 संस्कृत (परास्नातक)			
प्रथम एवं तृतीय सेमे0	1.	डॉ0 संगीता अग्रवाल	संयोजिका
	2.	डॉ0 वसुधा श्री	सदस्या
एम0 ए0 अंग्रेजी (परास्नातक)			
प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर	1.	डॉ0 अरुणा शर्मा	संयोजिका
	2.	डॉ0 आभा शुक्ला कौशिक	सदस्या
एम0 ए0 शिक्षा शास्त्र (परास्नातक)			
प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर	1.	डॉ0 अपर्णा त्रिपाठी	संयोजिका
	2.	श्रीमती प्रियंका सोनकर	सदस्या
एम0 ए0 अर्थशास्त्र (परास्नातक)			
प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर	1.	डॉ0 रुचि त्यागी	संयोजिका
	2.	डॉ0 रश्मि कुमारी	सदस्या

स्नातक स्तर पर उपलब्ध सीट संख्या

'कला-संकाय'

क्र0सं0	विषय	अनुमोदित सैक्शन	सीट संख्या
1.	हिन्दी	3	180
2.	संस्कृत	3	180
3.	अंग्रेजी	2	120
4.	शिक्षा शास्त्र	2	120
5.	अर्थ शास्त्र	2	120
6.	राजनिति विज्ञान	2	120
7.	गृह विज्ञान	2	120
8.	इतिहास	1	60
9.	संगीत	1	60
10.	ड्राईंग एवं पेंटिंग (स्ववित्तपोषित)	1	60

'वाणिज्य-संकाय'

क्र0सं0	विषय	अनुमोदित सैक्शन	सीट संख्या
1.	वाणिज्य (बी.कॉम.)	1	60

परास्नातक स्तर पर उपलब्ध सीट संख्या

क्र0सं0	विषय	अनुमोदित सैक्शन	सीट संख्या
1.	अंग्रेजी	1	60
2.	संस्कृत	1	60
3.	शिक्षा शास्त्र	1	60
4.	अर्थ शास्त्र	1	60

अध्ययन - केन्द्र
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली का अध्ययन केन्द्र भी महाविद्यालय में संचालित है, जिसमें विभिन्न पाठ्यक्रमों के अध्ययन की सुविधा है। इन पाठ्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है-

अध्ययन केन्द्र सं 39022 — सम्पर्क : 0122-2953513

S.No.	Programme	Eligibility	Duration Min.	Duration Max.	Fee	Admission Cycle
1.	M.A. (Hindi)	Bachelor's Degree or a higher degree from a recognized Univesity	2 Yrs.	5 Yrs.	3700/- Yr. 3600/- Yr.	Apr. & Oct.
2.	M.A. (English)	Bachelor's Degree or a higher degree from a recognized Univesity	2 Yrs.	5 Yrs.	3700/- Yr. 3600/- Yr.	Apr. & Oct.
3.	M.A. (Pol. Science)	Bachelor's Degree or a higher degree from a recognized Univesity	2 Yrs.	5 Yrs.	3700/- Yr. 3600/- Yr.	Apr. & Oct.
4.	M.A. (Sociology)	Bachelor's Degree or a higher degree from a recognized Univesity	2 Yrs.	5 Yrs.	3700/- Yr. 3600/- Yr.	Apr. & Oct.
5.	M.Com	Bachelor's Degree or a higher degree from a recognized Univesity	2 Yrs.	5 Yrs.	9000/- Yr.	Apr. & Oct.
6.	B.Com	10+2 or its equivalent or BPP from IGNOU	3 Yrs.	6 Yrs.	1700/- Yr.	Apr. & Oct.
7.	PGPT	10+2 or its equivalent	1 Yrs.		4000/- Yr.	Apr. & Oct.
8.	PGPT	10+2 or its equivalent	1 Yrs.		7000/- Yr.	Apr. & Oct.

Note: BA Programme & BA Hindi (Hons) (Available Soon)
टिप्पणी - बी.कॉम प्रोग्राम के लिए एस.सी. व एस.टी. छात्राओं के लिए कोई शुल्क नहीं है।

कार्यरत महत्वपूर्ण अधिकारियों को आमंत्रित कर उनके व्याख्यान का आयोजन किया जाता है। प्रभावशाली व्याख्यान छात्राओं को सशक्त एवं स्वावलंबी होने तथा अपना लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करते हैं।

6. पुस्तकालय :-

महाविद्यालय प्रांगण में छात्राओं हेतु एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था है। जिसमें अध्ययन-अध्यापन हेतु आवंटित विषयों की लगभग 35000 महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पुस्तकें उपलब्ध हैं। वाचनालय में 100 छात्राओं के बैठने की व्यवस्था है। जबकि प्राध्यापिकाओं हेतु वाचनालय में अलग से बैठने की सुविधा उपलब्ध है। संप्रति छात्राओं की आवश्यकता को देखते हुए महाविद्यालय के पुस्तकालय का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु पुस्तकालय में अंग्रेजी तथा हिंदी के विभिन्न दैनिक पत्रों के साथ साप्ताहिक, मासिक एवं वार्षिक पत्रिकाएं एवं शोध पत्रिकाएं भी मंगाई जाती हैं। छात्राओं को प्रतिवर्ष पुस्तकालय के कार्ड जारी किए जाते हैं जिससे वह समय-समय पर आवश्यकतानुसार दो सप्ताह के लिए पुस्तकें आवंटित करा सकती हैं। छात्राओं के लिए बुक बैंक की सुविधा उपलब्ध है। पुस्तकालय में समय-समय पर छात्राओं को विभिन्न विषयों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी दिखाई जाती हैं। छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पत्रिकाएं एवं विभिन्न प्रकार की जानकारी भी पुस्तकालय द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

7. मेधावी छात्राओं हेतु महाविद्यालय की पुरस्कार-योजना :-

महाविद्यालय की मेधावी छात्राओं को महाविद्यालय द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। यह योजना निरंतर विस्तारित की जा रही है। महाविद्यालय की प्राध्यापिकाओं द्वारा स्नातकोत्तर स्तर (अंतिम वर्ष) के विषयों तथा स्नातक बी0कॉम एवं स्नातक अंतिम वर्ष संगीत विभाग में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को स्वर्ण पदक एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। साहित्यिक- सांस्कृतिक समिति एवं विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली छात्राओं को ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। समय-समय पर इसकी सूचना प्रेस विज्ञप्ति समिति द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जाती है।

महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएं

छात्राओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु शिक्षा के साथ-साथ शिक्षणेत्तर गतिविधियां भी महाविद्यालय में संचालित की जा रही है यथा-

1. खेलकूद अथवा शारीरिक शिक्षा :-

खेल कूद अथवा शारीरिक शिक्षा हेतु आउटडोर तथा इंडोर खेल महाविद्यालय में उपलब्ध हैं। शारीरिक शिक्षा की प्राध्यापिका के निर्देशन में छात्राएं बैडमिंटन, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो- खो आदि आउटडोर खेल का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं। प्रत्येक वर्ष छात्राएं विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्थानीय स्तर, जिलास्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में भाग लेती एवं पुरस्कृत होती हैं।

2. सांस्कृतिक एवं परिषद :-

साहित्यिक-सांस्कृतिक परिषद के माध्यम से छात्राओं को भाषण प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता,पोस्टर प्रतियोगिता, गायन एवं नृत्य प्रतियोगिता, रंगोली-मेंहदी प्रतियोगिता में प्रतिभागिता हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। कुशल प्राध्यापिकाओं के निर्देशन में छात्राएं प्रशिक्षण प्राप्त कर विश्वविद्यालय एवं अंतरमहाविद्यालयी प्रतियोगिताओं में भाग लेती हैं। सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रमों का निर्देशन अनुभवी प्राध्यापिकाओं द्वारा कुशलतापूर्वक किया जाता है। प्रतिवर्ष महाविद्यालय की अधिकाधिक छात्राएं प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत होती हैं जिसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जाती है।

3. राष्ट्रीय सेवा योजना :-

राष्ट्रीय सेवा योजना की एक यूनिट का संचालन विगत एक दशक से महाविद्यालय में किया जा रहा है। इस वर्ष से दूसरी यूनिट भी संचालित करने की प्रक्रिया जारी है। राष्ट्रीय सेवा योजना वस्तुतः शारीरिक श्रम के महत्व को रेखांकित करती है, साथ ही मलिन बस्तियों अथवा पिछड़े समुदायों में जागरूकता पैदा कर उनकी समस्याओं के निराकरण का कार्य भी किया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना में भाग लेने वाली छात्राएं शिविर के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन तथा पूरे वर्ष में लगभग 120 घंटों का श्रमदान करती हैं। स्वयंसेवी छात्राओं को विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर एम.ए., बी.एड., एल.एल.बी. आदि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं।

4. महाविद्यालय में रेंजर्स के प्रशिक्षण :-

महाविद्यालय में रेंजर्स के प्रशिक्षण का कार्य भी जारी है। शासन से भेजे गए प्रशिक्षकों द्वारा छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा, कैंप लगाना, राष्ट्रीयता तथा सामान्य अनुशासन का प्रशिक्षण छात्राओं को टोलियों में बांट कर दिया जाता है। टोलियों की कार्यकुशलता के आधार पर उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। प्रतिदिन के प्रशिक्षण की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जाती है। स्त्री-सशक्तिकरण के लिए रेंजर्स प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण योजना है।

5. करियर काउंसलिंग परिषदः-

करियर काउंसलिंग परिषद के तत्वावधान में महाविद्यालय समय-समय पर करियर काउंसलिंग हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करता है। जिसके अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी, मोटिवेशनल स्पीकर्स, पुरातन छात्रा तथा विभिन्न क्षेत्रों में

गृह विज्ञान-विभाग			
1.	डॉ0 स्मृति दानी	पीएच.डी.	एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्षा
2.	डॉ0 विभा भारद्वाज	पीएच.डी.	एसोसिएट प्रोफेसर
3.	श्रीमती साधना मिश्रा	नेट	असिस्टेंट प्रोफेसर
शिक्षाशास्त्र-विभाग			
1.	डॉ0 अपर्णा त्रिपाठी	पीएच.डी.	एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्षा
2.	डॉ0 सर्वेश कुमारी	नेट, पीएच.डी.	असिस्टेंट प्रोफेसर
3.	श्रीमती प्रियंका सोनकर	नेट, जे.आर.एफ.	असिस्टेंट प्रोफेसर
खेलकूद-विभाग			
1.	डॉ0 सरोजिनी	एम. पी.एड., पीएच.डी.	एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्षा
प्रवक्ता (स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम)			
ड्राईंग एण्ड पेंटिग-विभाग			
1.	डॉ0 धनेश्वरी कबीरा	पीएच.डी.	प्रवक्ता
अर्थशास्त्र-विभाग			
1.	डॉ0 रश्मि सिंह	पीएच.डी.	प्रवक्ता
वाणिज्य-विभाग			
1.	श्रीमती प्रीति शर्मा	एम. कॉम., पीएच.डी. शोधरत	प्रवक्ता
2.	रिक्त		

विभागीय-विवरण

प्रो. साधना तोमर		एम.ए.(हिन्दी) एम.एड. नेट,पीएच.डी., डी.लिट्.	प्राचार्या
		अंग्रेजी-विभाग	
1.	डॉ0 अरुणा शर्मा	एम.फिल, पीएच.डी.	एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्षा
2.	डॉ0 आभा शुक्ला कौशिक	एम.फिल, पीएच.डी.	एसोसिएट प्रोफेसर
3.	डॉ0 अलका सिंह	एम.फिल, पीएच.डी.	असिस्टेंट प्रोफेसर
4.	डॉ0 मीनू कश्यप	एम.फिल, नेट, पीएच.डी.	असिस्टेंट प्रोफेसर
		अर्थशास्त्र-विभाग	
1.	डॉ0 रुचि त्यागी	पीएच.डी.	असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अध्यक्षा
		हिन्दी-विभाग	
1.	डॉ0 पूनम भारद्वाज	पीएच.डी.	एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्षा
2.	डॉ0 करुणा गुप्ता	एम.फिल, पीएच.डी.	एसोसिएट प्रोफेसर
3.	डॉ0 सीमा सिंह	पीएच.डी.	एसोसिएट प्रोफेसर
4.	डॉ0 नीशू यादव	नेट, जे.आर.एफ., पीएच.डी.	असिस्टेंट प्रोफेसर
		इतिहास-विभाग	
1.	डॉ0 मनीला रोहतगी	एम.फिल, पीएच.डी.	एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्षा
		संगीत गायन-विभाग	
1.	डॉ0 जया शर्मा	पीएच.डी.	एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्षा
2.	रिक्त	-	-
		राजनीति विज्ञान-विभाग	
1.	डॉ0 शालिका अग्रवाल	पीएच.डी.	एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्षा
2.	डॉ0 अमिता शर्मा	पीएच.डी.	एसोसिएट प्रोफेसर
		संस्कृत-विभाग	
1.	डॉ0 संगीता अग्रवाल	पीएच.डी.	एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्षा
2.	डॉ0 वसुधा श्री	पीएच.डी.	एसोसिएट प्रोफेसर
3.	श्रीमती विनीता पारस	नेट, जे.आर.एफ.	असिस्टेंट प्रोफेसर

Minor Course 2nd Sem.

S.No.	Class	Sem	Course	Code	
1.	B.A./B.Com	2nd Sem.	Education- Population & Environmental Education	Q10003	OR
2.	B.A./B.Com	2nd Sem.	Sanskrit-Bhartiya Sanskriti Evam Sanskrit	Q10011	

नोटः- वे छात्राएं जिनके पास मेजर विषय मे Education है सभी वह छात्राएं माइनर विषय मैं Sanskrit लेगी तथा जिनके पास मेजर विषय मैं Sanskrit है वे माइनर विषय में Education लेंगी तथा जिन छात्राओं ने प्रथम सेमेस्टर माइनर विषय पढ़ लिया है वे द्वितीय सेमेस्टर में **None** भरेंगी।

Minor Course 3rd Sem.

S.No.	Class	Sem	Course	Code
1.	B.A./B.Com	3rd Sem.	Phy. Education-Health -Yoga For All	Q10032

Minor Course 4th Sem.

S.No.	Class	Sem	Course	Code
1.	B.A./B.Com	4th Sem.	Law-An Introduction to Constitution of India	Q10021

नोटः- जिन छात्राओं ने प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर में माइनर विषय पढ़ लिया है वे द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षा फार्म में NONE भरेंगी।

Skill Development Course List

Skill Course 1st Sem.

S.No.	Class	Sem	Course	Code	
1.	B.A./B.Com	1st Sem.	Yoga & Correctives	V0001015	OR
2.	B.A./B.Com	1st Sem.	Computer Basic	V0001077	

Skill Course 2nd Sem.

S.No.	Class	Sem	Course	Code	
1.	B.A./B.Com	2nd Sem.	Yoga & Correctives	V0001015	OR
2.	B.A./B.Com	2nd Sem.	Computer Basic	V0001077	

नोटः- जिन छात्राओं ने प्रथम सेमेस्टर में स्किल डेवलपमेंट कोर्स में योगा भरा था वे छात्राएं द्वितीय सेमेस्टर में कम्प्यूटर भरेंगी और जिन्होनें प्रथम सेमेस्टर में कम्प्यूटर भरा था वे द्वितीय सेमेस्टर में योगा भरेंगी तथा जिन छात्राओं ने प्रथम सेमेस्टर में Beauty and Wellness विषय लिया है वे छात्राएं द्वितीय सेमेस्टर में योगा या कम्प्यूटर कोर्स में से एक विषय ले सकती है।

Skill Course 3rd Sem.

S.No.	Class	Sem	Course	Code	
1.	B.A./B.Com	3rd Sem.	Beauty and Wellness	V0001081	OR
2.	B.A./B.Com	3rd Sem	Basic Communicative English	V0001004	

Skill Course 4th Sem.

S.No.	Class	Sem	Course	Code
1.	B.A./B.Com	4th Sem.	Food Preservation	V0001012

अध्ययन हेतु विषय

महाविद्यालय में कला-संकाय में निम्नलिखित विषय संचालित हैं

स्नातक स्तर

1. हिन्दी 2.संस्कृत 3. अंग्रेजी 4. अर्थशास्त्र 5. शिक्षाशास्त्र
6. राजनीतिविज्ञान 7. इतिहास 8. गृह विज्ञान 9. संगीत 10. चित्रकला (ड्राइंग-पेंटिंग)

ग्रुप 'ए'(भाषा संकाय)

1. हिन्दी 2. संस्कृत 3. अंग्रेजी

ग्रुप 'बी' (मानविकी संकाय)

1. राजनीतिविज्ञान 2. गृह विज्ञान 3. शिक्षाशास्त्र
4. अर्थशास्त्र 5. इतिहास

ग्रुप 'सी' (ललित संकाय)

1. संगीत 2. चित्रकला (ड्राइंग एंड पेंटिंग)

बी.ए.

नोटः- बी.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाली छात्राओं के प्रवेश हेतु तीन ग्रुप हैं जिनमें से दो ग्रुप में से तीन मेजर विषय लेने होंगे । को-करिकुलर, स्किल/वोकेशनल कोर्स एवं माइनर कोर्स सभी के लिए अनिवार्य है।

बी.कॉम

बी.कॉम. में प्रवेश लेने वाली छात्राओं के लिए भी को-करिकुलर, स्किल/वोकेशनल कोर्स एवं माइनर कोर्स अनिवार्य है।

स्नातकोत्तर

1.संस्कृत 2. अंग्रेजी 3. अर्थशास्त्र (स्ववित्तपोषित) 4. शिक्षाशास्त्र (स्ववित्तपोषित)

पी.एच.डी.

छात्राओं के स्वर्णिम भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्नातकोत्तर के पश्चात अंग्रेजी, संस्कृत, हिन्दी, गृह विज्ञान एवं इतिहास विषयों में महाविद्यालय में कुशल, सुयोग्य एवं अनुभवी शिक्षिकाओं के निर्देशन में शोध कार्य भी कराया जा रहा है। अनेक विद्यार्थी पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं तथा कुछ विद्यार्थी सम्प्रति शोधरत हैं।

Minor Course List

Minor Course 1st Sem.

S.No.	Class	Sem	Course	Code	
1.	B.A./B.Com	1st Sem.	History- Kuru Kingdom Through the Ages	Q10001	OR
2.	B.A./B.Com	1st Sem.	Phy. Education-Health Personal & Environmental	Q10005	

नोटः- जिन छात्राओं के पास मेजर विषय History (इतिहास) है वे छात्राएं माइनर विषय में Phy. Education लेंगी।

First Internal Assessment UG Even Semester	15th to 23rd February, 2024	
First Internal Assessment UG Even Semester		19th to 23rd February, 2024
Second Internal Assessment UG Even Semester	10th to 25th April, 2024	
Second Internal Assessment UG Even Semester		15th to 25th April, 2024
Practical UG Even Semester	upto 10th May, 2024	
Practical PG Even Semester		upto 10th May, 2024
Final UG Even Semester		13th to 22nd May, 2024
Final PG Even Semester		
Results UG Even Semester	05th to 22nd May, 2024	
Results PG Even Semester	20th June, 2024	20th June, 2024

Pre Ph.D

Pre Ph.	15th July 2023 to 15th November, 2023
Exam-	25th November, 2023 to 05th December, 2023
Result-	20th December, 2023

2023-24

Classes Start (UG) Ist Sem.	31st July (Monday), 2023	
Diksharambh(Induction Programme) Ist Sem .	07th to 12 th August, 2023	
First Internal Assessment (UG)1st Sem		18th to 23rd September, 2023
First Internal Assessment (UG) 3rd Sem		
Second Internal Assessment (UG) Ist Sem.	15th to 31st October, 2023	
Second Internal Assessment (UG) 3rd Sem.		26th to 31st October, 2023
Practical (UG) Ist Sem.	01st to 19th November, 2023	
Practical PG 3rd Semester		
Exams (UG) 1st Sem .	16th November to 20th December 2023	01st to 19th November, 2023
Exams PG 3rd Semester		20th November to 20th Dec., 2023
Results (UG) Ist Sem.	upto 10th January, 2024	
Results PG 3rd Semester		upto 10th January, 2024
Class Start PG 3rd Semester		31st July (Monday),2023
Date of Registration (PG) Ist Sem.		15th July, 2023
Admission PG Ist Semester		16th Aug. to 31st Aug. ,2023
PG Ist Semester Classes		01st September, 2023
Diksharambh (Induction Programme) PG Ist Sem.		11th to 16th Sept. 2023
First Internal Assessment (PG)1st Sem.		26th Nov. to 31st October, 2023
Second Internal Assessment (PG) 1st Sem.		27th Nov. to 2 nd Dec., 2023
Practical 1st Sem.		upto 09th December, 2023
Exams (PG) 1st Sem.		11th to 20th December, 2023
Results (PG) 1st Sem.		upto 10th January, 2023
UG Even Sem. Classes	4th January, 2024	

महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के पदाधिकारीगण

Mr. Narendra Kumar Arya
(President)

Mr. Satya Narayan Agarwal
(Vice President)

Mr. Yogendra Kumar
(Secretary)

Mr. Anil Kumar
(Joint Secretary)

Mr. Anand Prakash Arya
(General Scretary)

प्राचार्या का संदेश

शिक्षा ही मानव- शील का शृंगार है, विवेक का मूल है तथा राष्ट्र की आन्तरिक सुरक्षा है। शिक्षा ही ज्ञानवर्धन का साधन, सांस्कृतिक विकास का माध्यम, चरित्र निर्माण और जीविकोपार्जन का द्वार है। शिक्षा ही जीवन की सफलता का दिव्य साधन है, जिसके द्वारा मनुष्यता और मानवीय मूल्यों का विकास होता है। यह मनुष्य के लिए कल्पवृक्ष के समान है जिसके द्वारा मनुष्य के जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। कहा भी गया है-

''किम् किम् न साधयति कल्पलतेव विद्या''

शिक्षा के पावन उद्देश्य को पूर्ण करने तथा हापुड़ क्षेत्र की बालिकाओं के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु ही विद्वतगणों ने आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना की थी। यह महाविद्यालय भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान-विज्ञान के दिव्य दिनकर के रूप में अपनी अलौकिक ज्ञान- रश्मियों से समस्त दिशाओं को आलोकित कर रहा है। सन् 1959 में रोपित यह पौधा आज वट वृक्ष के रूप में परिणत होकर ज्ञान की शीतल छाया को हापुड़ क्षेत्र की बेटियों के हितार्थ विकीर्ण कर रहा है।

इस महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति, प्राचार्या और विदुषी शिक्षिकाएं छात्राओं के शैक्षिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं कौशल विकास हेतु सदैव प्रयत्नशील हैं। वे कुशल योगी के समान चरित्र, संयम, नियमन एवं राष्ट्र-प्रेम जैसे सद्गुणों का विकास करने और कुशल माली की तरह अवसरानुकूल काट-छाँट कर उन्हें अनुशासित बनाने को सदैव तत्पर रहती हैं। महाविद्यालय की पुरातन छात्राएं भी अपनी ज्ञान-गंगा से समस्त दिशाओं को पावन कर इस महाविद्यालय के गौरव में वृद्धि कर रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं क्रीड़ा के क्षेत्र में भी महाविद्यालय की छात्राएं स्वर्ण पदक प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रही हैं। आइए, हम सब मिलकर प्रयास करें कि अपनी प्रदत्त शिक्षा से केवल ज्ञान दान ही नहीं बल्कि अपनी छात्राओं में संस्कार और सुरुचि के अंकुरों का भी पोषण करें।

प्रो० साधना तोमर

प्राचार्या

आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय

akpgcollegehapur@gmail.com
Arya Kanya Post Graduate College, Hapur
www.akpgcollege.org

हापुड़ (उ० प्र०)

दूरभाष : प्राचार्या कार्यालय 0122 2300069
कार्यालय अधीक्षक 2313564
+91-7895102255

संक्षिप्त परिचय

आज से लगभग छ: दशक पूर्व बालिकाओं के सर्वांगीण विकास एवं उन्नत शिक्षा के अवसर को देखते हुए हापुड़ शहर के गणमान्य एवं प्रबुद्ध नागरिकों ने कन्या महाविद्यालय की आवश्यकता को अनुभव किया था। उसी कल्पना को मूर्त रूप देने हेतु नगर के विशिष्ट एवं प्रबुद्ध नागरिकों के सहयोग से प्रारूप तैयार कर सन् 1959 जुलाई माह में इस महाविद्यालय की स्थापना हुई जहाँ छात्राओं को स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण में अध्ययन का अवसर प्रदान करने की योजना का विस्तार हुआ। वर्षों पहले जिस शिक्षा के मंदिर का अंकुरण हापुड़ शहर के प्रांगण में हुआ था आज वह प्रबंध-समिति, प्रशासन द्वारा नियुक्त प्राचार्यों, प्राध्यापिकाओं एवं महाविद्यालय के समस्त कर्मचारीगणों के सहयोग से वट वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो चुका है।

कला-संकाय के शिक्षण से आरंभ हुई संस्था में संप्रति कॉमर्स विषय में भी पठन-पाठन की व्यवस्था है। छात्राओं के समुचित विकास हेतु महाविद्यालय में एक समृद्ध पुस्तकालय है। बाह्य एवं आंतरिक खेलकूद की सुविधा के साथ छात्राओं द्वारा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परिषद् के तत्वावधान में विभिन्न शिक्षणेत्तर गतिविधियों में भी महाविद्यालय द्वारा सहभागिता के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

महाविद्यालय में कई दशकों से चलाई जा रही राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत छात्राओं में श्रम, सहयोग, सामुदायिकता की भावना, उच्च नैतिक गुणों तथा राष्ट्रप्रेम को विकसित करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

उच्च शिक्षा में सतत् भागीदारी करती छात्राओं की मांग को देखते हुए वर्ष 1986-87 में संस्कृत एवं अंग्रेजी विभाग में स्नातकोत्तर (एम. ए.) की कक्षाएं प्रारंभ हुईं। सन् 2000- 2001 से अर्थशास्त्र एवं शिक्षा शास्त्र में भी स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ हुई। वर्ष 1995-1996 से स्नातक स्तर पर चित्रकला विषय की भी कक्षाएं संचालित की जा रही हैं।

विगत वर्षों में कौशल विकास के अंतर्गत विभिन्न विषयों से संबंधित कक्षाएं महाविद्यालय द्वारा संचालित की जाती रही हैं। संप्रति महाविद्यालय में योग की कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। पिछले आठ वर्षों से विभिन्न विषयों के अध्ययन हेतु महाविद्यालय में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का एक अध्ययन-केंद्र भी क्रियान्वित है।

महाविद्यालय को संस्कृत एवं अंग्रेजी विषय में शोधकेंद्र की मान्यता विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त है। इसके अतिरिक्त इतिहास व गृह विज्ञान विषयों में भी शिक्षिकाओं द्वारा शोध कार्य कराया जा रहा है। **कठोपनिषद् से उदृत संस्था का आदर्श वाक्य है-**

''उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत''

(उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञानीजनों के सान्निध्य में ज्ञान प्राप्त करो)

यह वाक्य निश्चित रूप से संस्था की सार्थकता को प्रतिबिंबित करता है।

अनुक्रमणिका

- महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय 02
- प्राचार्या का संदेश 03
- महाविद्यालय की प्रबन्ध-समिति के पदाधिकारी गण 04
- विश्वविद्यालय की वार्षिक शैक्षणिक तालिका 05
- महाविद्यालय में अध्यापन हेतु उपलब्ध पाठ्यक्रम 06
- विभागीय-विवरण 09
- महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएं 11
- महाविद्यालय में इग्नू अध्ययन केन्द्र एवं उसमें संचालित पाठ्यक्रम 13
- स्नातक एवं परास्नातक स्तर पर उपलब्ध सीट संख्या 14
- प्रवेश-समितियाँ 15
- महाविद्यालय की महत्वपूर्ण समितियां एवं प्रकोष्ठ सूची 16
- विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश-नियम 21
- महाविद्यालय के अन्य महत्वपूर्ण नियम 28
- सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए छात्रवृत्ति के नियम 34
- यूनिफार्म 35
- महाविद्यालय में देय-शुल्क की संरचना 36
- शिक्षेणत्तर कर्मचारी-विवरण 37
- छात्राओं का प्रदान किये जाने वाले स्वर्ण-पदक का विवरण 38
- महाविद्यालय प्रबन्ध समिति एवं आर्य कन्या शिक्षा समिति, हापुड़ का विवरण 39
- समाचार पत्रों के माध्यम से महाविद्यालय की उपलब्धियां 40
- महाविद्यालय में प्रवेश एवं छात्रवृत्ति हेतु फार्म

Established - 1959

विवरणिका
PROSPECTUS
2023-24

BE DIFFERENT.
BE BETTER.
BE AHEAD.

आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय

स्वर्ग आश्रम रोड, हापुड़-245101